

“मज़बूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2013—2014

(01.04.2013 से 31.03.2014)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत सूचना)	1—15
II.	विभाग के संविधिक (स्टैचुटरी) कार्य	16—25
III.	प्रशासनिक कार्य	26—37
IV.	परिशिष्ट	38—69

अध्याय—।

निर्वाचन विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984-85 में सचिवालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः निर्वाचन विभाग का मुख्यालय विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग का कार्य करता है। इस प्रकार निर्वाचन विभाग Single File System वाला विभाग है। इसका मुखिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन) होता है। वर्ष 2013-14 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री इस विभाग के मंत्री प्रभारी रहे। निर्वाचन विभाग का विवरण, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाकलाप, शक्तियां और कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं, जिनका वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत उल्लिखित है।

1. विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य

निर्वाचन विभाग एक गैर योजना विभाग है और विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के संचालन का उत्तरदायित्व निभाता है। यह विभाग निम्न प्रकार की संविधिक (Statutory) कार्य/ गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में निर्वहन करता है :-

- 1 राष्ट्रपतीय/ उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन का संचालन,
- 2 राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन,
- 3 लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/ उप निर्वाचन,
- 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना,
- 5 मतदाता सूचियों की तैयारी एवं अद्यतन,
- 6 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना,
- 7 लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- 8 सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना।

इसके अतिरिक्त दूसरे नियमित कार्य जैसे स्थापना/ बजट, लेखा, भण्डार की आपूर्ति/ वितरण इत्यादि का कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभाग के कार्य का विभाजन

(i) राज्य मुख्यालय स्तर पर

- (क) सचिव (निर्वाचन) बतौर "प्रशासनिक विभाग" और विभाग में श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करते हैं।
- (ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारी "विभागाध्यक्ष" है और तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं तथा जिलों में यह सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) में निहित है।

- (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ संविधिक कार्य (Statutory functions) के कार्यान्वयन हेतु एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) पदाविहित है जोकि कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी है।
- (घ) विभागीय कैंडर का एक पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) जोकि राज्य सरकार के अवर सचिव के दर्जे का है, विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी आहरण एवं संवितरण का कार्य करता है तथा यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्तों के लिए नियन्त्रण अधिकारी भी है। शाखा-1 में उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी और सात वरिष्ठ सहायकों के पद हैं।
- (ङ) एक और विभागीय कैंडर का पद निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) भी विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी तथा चार वरिष्ठ सहायक शाखा-11 का कार्य देखते हैं।
- (च) एक तकनीकी पद कम्प्युटर प्रोग्रामर(श्रेणी-1) का स्वीकृत है। इस अधिकारी की सहायतार्थ कम्प्युटर सैल में एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक डाटा ऑपरेटर और एक कनिष्ठ सहायक भी हैं। कम्प्युटर सैल में कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय स्टाफ तथा जिला मुख्यालय/ उप मण्डलीय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि का कार्य करते हैं।
- (छ) स्वीप (Sweep)

(ii) जिला मुख्यालय स्तर

जिलों के उपायुक्त "जिला निर्वाचन अधिकारी" होते हैं और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। उपायुक्त, शिमला, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा लोक सभा निर्वाचनों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हैं। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ एक-एक तहसीलदार(निर्वाचन) कार्यरत हैं। जिला कांगड़ा व मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन) तथा अन्य आठ जिलों में एक-एक नायब तहसीलदार (निर्वाचन) विद्यमान हैं। जिला किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) नहीं हैं।

(iii) उप मण्डलीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उप मण्डलाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राजस्व/ निर्वाचन विभाग के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो/ लिपिक तथा चपड़ासी रिटर्निंग ऑफिसरों की सहायतार्थ नियुक्त हैं।

2.ऑफिसरों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदाभिहित करता है।

उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा पूर्व-पदेन सचिव(निर्वाचन) के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में निर्वाचन विभाग की कोई अलग शाखा नहीं है इसलिए वह प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष हैं।

- बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका निर्वाचन विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण है।
- वह जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादनार्थ उनका परीक्षण करते हैं। विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए भी वह सक्षम है।
- वह बतौर विभागाध्यक्ष एवं सचिव(निर्वाचन) वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।
- उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के निवारण के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी की शक्तियां निहित हैं।
- वह विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवम् अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)

यह पद हिमाचल प्रशासनिक सेवा कैडर का है तथा उक्त अधिकारी निर्वाचन विभाग के मुख्यालय का कार्यालयाध्यक्ष है। इनके द्वारा निम्न कार्य का निष्पादन किया जाता है :-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) के साथ सभी विभागीय मामलों में सहायता करना।
- निर्वाचन विभाग की दोनों शाखाओं एवं कम्प्यूटर सैल का पर्यवेक्षण।
- कार्यालयाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय मामलों का निपटारा।
- विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति/ पुष्टिकरण।
- मुख्यालय पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु रिपोर्टिंग आफिसर।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

यह अधिकारी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) राज्य के अवर सचिव के स्तर के हैं। वह निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर बतौर आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी विभागीय मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना।
- बजट, लेखे व भण्डार सम्बन्धी मामलों के कार्यों की देखरेख करना।
- विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग, प्रशासन में दक्षता सम्बन्धी बैठक में भाग लेना।
- अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण/ निष्पादन आदि।

निर्वाचन अधिकारी

विभाग में यह पद भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का है। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी प्रकार के निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, कम्प्यूट्रीकरण, मतदाताओं के पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यों की देखरेख करना।

विशेष कार्यकारी अधिकारी (OSD)(SVEEP)

- सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं भागीदारी (SVEEP) योजना के अधीन राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन एवं उक्त योजना के अन्तर्गत सभी कार्यों की देखरेख हेतु विशेष कार्यकारी अधिकारी (SVEEP) का एक पद सृजित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी-I

यह अधिकारी अनुभाग-I का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य स्थापना, बजट, लेखे व भण्डार सामग्री आदि मामलों का निष्पादन है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायकों के कार्य का निरीक्षण इत्यादि भी उक्त अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी-II

यह अधिकारी अनुभाग-II का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों आदि के कार्य का निष्पादन है तथा सम्बन्धित सहायकों का कार्य का निरीक्षण आदि।

निजी स्टाफ

निजी स्टाफ में एक पद निजी सचिव तथा एक पद वरिष्ठ आशुलिपिक और एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक का सृजित है। यह निजी स्टाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन) अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) के दिनचर्या के कार्य एवं जो भी सरकारी कार्य उन्हें अधिकारियों द्वारा सौंपा जाए जैसे फाईलों का रखरखाव, गोपनीय रिकार्ड की अभिरक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा में टंकण का कार्य तथा वाहनों आदि का नियन्त्रण का कार्य का निष्पादन करता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	III	वरिष्ठ सहायक	25
2.	III	निर्वाचन (कानूनगो)	70
3.	III	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	84
4.	III	कम्प्युटर आपरेटर	2
5.	III	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
6.	III	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
7.	III	चालक	2
8.	IV	प्रतिलिपि चन्त्र चालक	1
9.	IV	दफतरी	1
10.	IV	चपड़ासी	85
11.	IV	चौकीदार	12
12.	IV	सफाई कर्मचारी	3
कुल योग			287

जिला स्तर के कार्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक के अनुसरण में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को निर्वाचन कार्य के निर्वहन हेतु "जिला निर्वाचन अधिकारी" पदाभिहित किया गया है और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में जिलों में निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाते हैं। चार जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त), शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी लोक सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गये हैं। अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाविहित किए गये हैं।

तहसीलदार (निर्वाचन)

जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ प्रत्येक जिला में एक-एक तहसीलदार (निर्वाचन) नियुक्त किए गये हैं। उक्त तहसीलदारों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा विधान सभा

निर्वाचनों के संचालनार्थ उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी पदाविहित किया गया है। उक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्वाचन का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया, वोटिंग मशीनों के बारे में प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। उपमण्डल स्तर के निर्वाचन के कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण भी तहसीलदार (निर्वाचन) ही करते हैं। फील्ड के सभी प्रकार के कार्य जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कार्य का निरीक्षण आदि भी वे ही करते हैं।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन)

लाहौल स्पति तथा किन्नौर को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चम्बा तथा कुल्लू में एक-एक नायब तहसीलदार तथा कांगड़ा एवं मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन), तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ नियुक्त हैं। उक्त अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकारी फील्ड में निर्वाचन कार्य की देखरेख भी करते हैं।

अधीक्षक ग्रेड-II

जिला लाहौल-स्पति, किन्नौर हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला में लेखा सम्बन्धी कार्यों की देखरेख एवं तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ सौंपे गये कार्यों की देखरेख हेतु छः पद अधीक्षक ग्रेड-II के पद सृजित किये गये हैं।

वरिष्ठ सहायक

तहसीलदार (निर्वाचन)/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक या दो वरिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं। उक्त कर्मचारी स्थापना, बजट एवं लेखे तथा निर्वाचन संचालनार्थ पत्राचार आदि का कार्य करते हैं।

कनिष्ठ सहायक/ लिपिक

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में दो या तीन कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की सहायता करते हैं तथा हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण कार्य, बिलों की तैयारी, डाक आवती/ प्रेषण, भण्डार सामग्री का रखरखाव इत्यादि का कार्य सम्भालते हैं।

चपड़ासी/ चौकीदार

जिला निर्वाचन कार्यालयों में 2-3 चपड़ासी तथा एक-एक चौकीदार के पद स्वीकृत है।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय

रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचनों के संचालनार्थ उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु वह बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाविहित किए गये हैं। उप-मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारी निर्वाचन शाखा के प्रभारी भी होते हैं।

निर्वाचन कानूनगो

प्रत्येक उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो का पद स्वीकृत है। निर्वाचन कानूनगो रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त हैं तथा फील्ड में निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी और निरन्तर अद्यतन, मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि का कार्य करवाते हैं।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

एक पद कनिष्ठ सहायक/ लिपिक का हर उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। उक्त कर्मी हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण, डाक आवती/ प्रेषण और निर्वाचन भण्डार के रख-रखाव का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन कानूनगो के साथ हर मामलों में सहायता करते हैं।

चपड़ासी

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए एक-एक पद चपड़ासी का स्वीकृत है जोकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का कार्य सम्भालते हैं।

3. पर्यवेक्षण के माध्यम तथा उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपनाई गई कार्य विधि

निर्वाचन विभाग में कार्यालय के कार्य की सुचारूता के अनुरूप सभी अधिकारियों/व्यवहृतकर्ता सहायकों तथा अन्य कर्मियों को कार्य का आबंटन किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ उनका उत्तरदायित्व निर्धारित है। जहां तक कार्य के पर्यवेक्षण का प्रश्न है सभी व्यवहृतकर्ता अपने-अपने मामले में सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को तथा अनुभाग अधिकारी आगे शाखा प्रभारी को फाईलें प्रस्तुत करते हैं। शाखा प्रभारी फाईलों को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोकि कार्यालयाध्यक्ष हैं तथा विशेष सचिव (निर्वाचन) भी हैं, उनके स्तर के मामलों के निपटान हेतु प्रस्तुत करते हैं। जो मामले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर बतौर विभागाध्यक्ष निपटाए जाने हों, ऐसे मामले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभारी मन्त्री को मामले प्रस्तुत करते हैं क्योंकि निर्वाचन विभाग एक तरह से Single File System वाला विभाग है। अतः सभी मामलों पर तत्परता से निर्णय ले लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक

निर्वाचन विभाग में हर ऑफिसर के कार्य निष्पादन हेतु संविधिक प्रावधान (Statutory Provisions) हैं जिसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के पास विभागीय कर्मियों की नियुक्ति/ पदोन्नति के नियम हैं। जहां तक विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, इस विभाग का सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में होता है जिसके लिए निम्न केन्द्रीय अधिनियम, नियम, आदेश/ अनुदेश हैं :-

- 1 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952.
- 2 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974.
- 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951
- 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960.
- 5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961.
- 6 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 2002.
- 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 8 रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 9 राज्य सभा निर्वाचन से सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 10 पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 11 संकलित अनुदेशों की पुस्तिका।
- 12 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.
- 13 निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पुस्तिका-2014.

5. विभाग के पास अथवा इसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों वर्गीकरण की विवरणी।

- (क) वित्तीय बजट आबंटन से सम्बन्धित पुस्तिका
- (ख) विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- (ग) गत लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित रिपोर्ट
- (घ) पावती/ प्रेषण रजिस्टर
- (ङ.) हाजिरी रजिस्टर
- (च) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (छ) बजट नस्तियां
- (ज) स्थापना से सम्बन्धित नस्तियां
- (झ) पुनर्वलोकन बैठकों की नस्तियां
- (ञ) संसदीय/ विधान सभा प्रश्नों की नस्तियां
- (ट) अन्य नियमित कार्यों से सम्बन्धित नस्तियां आदि।

6. विभाग से सम्बन्धित नीतियों के प्रारूपीकरण अथवा तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था का विवरण।

विभागीय नीतियों (Policies) के कार्यान्वयन हेतु जैसे मतदान केन्द्रों की स्थापना, फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है।

7. ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां अथवा अन्य निकाए जोकि दो अथवा अधिक व्यक्तियों सहित विभाग के भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाओं की बैठके जनता के लिए सार्वजनिक है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुँच में है।

विभाग द्वारा कोई बोर्ड, समितियां गठित नहीं की गई हैं।

8. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभिन्न श्रेणियों के निम्न विवरणानुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उप मण्डलीय स्तर पर पद स्वीकृत हैं।

क्र.सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन)	1
2.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप सचिव (निर्वाचन)	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	1
4.	निर्वाचन अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी	2
6.	निजी सचिव	1
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-II		
1.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	13
	अधीक्षक, ग्रेड. II	6
श्रेणी-III		
1.	वरिष्ठ सहायक	25
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
3.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	2
4.	निर्वाचन कानूनगो	70
5.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
6.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	84
7.	चालक	2
श्रेणी-IV		
1.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
2.	दफतरी	1
3.	चपड़ासी	85
4.	चौकीदार	12
5.	स्वीपर	3
योग :-		326

9. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान :—

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन)	67000-79000+10000/- ग्रेड पे
2.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप सचिव (निर्वाचन)	15600-39100+5400/- ग्रेड पे +2500/- सचिवालय पे
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतूल्य)	15600-39100+6600/- ग्रेड पे +2500/- सचिवालय पे
4.	निर्वाचन अधिकारी	10300-34800+5400/- ग्रेड पे +2000/- सचिवालय पे
5.	अनुभाग अधिकारी	15600-39100+5400/- ग्रेड पे +2000/- सचिवालय पे
6.	निजी सचिव	15600-39100+5400/- ग्रेड पे +2000/- सचिवालय पे
7.	प्रोग्रामर	10300-34800+5000/- ग्रेड पे
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+5000/- ग्रेड पे
श्रेणी-II		
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4200/- ग्रेड पे
10.	अधीक्षक, ग्रेड-II	10300-34800+4800/- ग्रेड पे
श्रेणी-III		
11.	वरिष्ठ सहायक	10300-34800+4400/- ग्रेड पे +900/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
12.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+4400/- ग्रेड पे +900/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर)
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10300-34800+3200/- ग्रेड पे +300/- सचिवालय पे
14.	निर्वाचन कानूनगो	10300-34800+4200/- ग्रेड पे +100/- विशेष भत्ता
15.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+3600/- ग्रेड पे +500/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (after completion of 2 years regular service) 5910-20200 +2800/- ग्रेड पे+500/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (entry grade pay scale)

16.	(i) कनिष्ठ सहायक (लिपिकों के स्वीकृत काडर का 50 प्रतिशत) (ii) लिपिक (स्वीकृत काडर का 50 प्रतिशत)	10300-34800+3600/- ग्रेड पे +500/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) 10300-34800+3200/- ग्रेड पे +400/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) after completion of 2 years regular service) 5910-20200 +1900/- ग्रेड पे +400/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (entry grade pay scale)
17.	चालक	5910-20200+2400/- ग्रेड पे +1400/- सचिवालय पे (after completion of 2 years regular service) 5910-20200 +2000/- ग्रेड पे +1400/- सचिवालय पे (entry grade pay scale)
श्रेणी-IV		
18.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	4900-10680+1800/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे
19.	दफतरी	4900-10680+1800/- ग्रेड पे +320/- सचिवालय पे
20.	चपड़ासी	4900-10680+1650/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (after completion of 2 years regular service) 4900-10680 +1300/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (entry grade pay scale)
21.	चौकीदार	4900-10680+1650/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (after completion of 2 years regular service) 4900-10680 +1300/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (entry grade pay scale)
22.	स्वीपर	4900-10680+1650/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (after completion of 2 years regular service) 4900-10680 +1300/- ग्रेड पे +240/- सचिवालय पे (केवल मुख्यालय स्तर पर) (entry grade pay scale)

10. समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा वितरण की रिपोर्ट दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग की एजेंसियों का बजट आबंटन।

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करता है। निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित योजनाएं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप कार्यान्वयन की जाती हैं। निधि प्रणाली तथा बजट पद्धति निम्न प्रकार से है :-

वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए अनुपूरक अनुदान सहित स्वीकृत बजट, वित्त वर्ष हेतु किए गए पुनर्विनियोजन सहित कुल बजट प्रावधान तथा 31 मार्च, 2014 तक के अनुमानित व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

मांग संख्या	वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत बजट (रूपये)	पुनर्विनियोजन/सहमति सहित कुल प्रावधान (रूपये)	वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप अनुमानित व्यय (रूपये)
17-निर्वाचन	13,95,86,000	23,58,90,250	24,37,42,450
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,30,000	9,30,000	,9,29,,055
31-जनजातीय विकास	79,65,000	1,61,51,000	1,89,26,270
कुल योग	14,78,81,000	25,29,71,250	26,35,97,775

- वित्त वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध बजट के दृष्टिगत अनुपातिक दर से आबंटन किया गया तथा मासिक आय/ व्ययों के संकलित विवरण भली-भान्ति तथा नियमानुसार तैयार किए गए।
- इसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2014-2015 हेतु निम्नलिखित बजट अनुमान वित्त विभाग/जनजातीय विकास विभाग को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये:-

मांग संख्या	वित्त वर्ष 2014-2015 हेतु अनुमानित बजट प्रावधान
17-निर्वाचन	42,62,04,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	10,00,000
31-जनजातीय विकास	2,13,67,000
कुल योग	44,85,71,000

- उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए कुल 7,34,09,000/- रूपये के बजट अनुमान भेजे गये।
- वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की पूर्ति हेतु अभी तक कुल 10,00,00,000/- रूपये की निधि बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध हुई तथा इसे विभागीय आय मुख्य लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन 800-अन्य प्राप्तियां 01-भारत सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति से आय" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, शिमला-171003 से अनुरोध किया गया।
- वित्त वर्ष के दौरान वित्त एवं जनजातीय विकास विभाग को विभाग से सम्बन्धित सभी मांगों के अधीन बजट प्रावधान एवं व्ययों पर नियन्त्रण के उद्देश्य से समय-समय पर आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाई गई।

- ऊपर वर्णित के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2013-2014 के आय/व्यय आंकड़ों का समय-समय पर लेखा कार्यालयों से मिलान किया गया तथा बजट एवं व्ययों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, मान्य लोक लेखा समितियां, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग आदि सभी सम्बन्धित संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई तथा नेमी कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया गया।

गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 17-“निर्वाचन”
लेखा शीर्ष : “2015-निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : : 102-निर्वाचन अधिकारी

01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग-। व ॥
103-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-01-विधान सभा
103-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-02-लोक सभा
104-01-लोक सभा / विधान सभा के एक साथ होने वाले निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी प्रभार
105-लोक सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार-01-लोक सभा
106-विधान सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार-01-विधान सभा
108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 31-“जनजातीय विकास”
लेखा शीर्ष : “2015-निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग-। व ॥
02-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-विधान सभा
03-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-लोक सभा
04-विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
05-लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
08-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
09-लोक सभा / विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

11. आबंटित धनराशि सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग द्वारा कोई अनुदान धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

12. विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट अथवा प्राधिकार पाने वालों का विवरण :

विभाग के किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परमिट और प्राधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

13. विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

इस विभाग के पास 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची वैबसाईट "http://ceohimachal.gov.in" और "http://ceohimachal.nic.in" जनसाधारण की सूचनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नागरिकों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

14. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी लाने हेतु तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम 2006 बनाए है। नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु 10/- के निर्धारित शुल्क के साथ सादा आवेदन कर सकता है।

15. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण :

राज्य मुख्यालय स्तर पर	
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	अपील प्राधिकारी
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	जन सूचना अधिकारी
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	सहायक जन सूचना अधिकारी

जिला मुख्यालय स्तर पर 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए		
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त (इनमें से जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी हो) उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	जन सूचना अधिकारी
(क)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (उप मण्डल अधिकारी/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	तहसीलदार (निर्वाचन)/नायब तहसीलदार (निर्वाचन), उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	
जनजातीय जिलों के लिए		
1.	जिला किन्नौर के लिए :	
	उपायुक्त किन्नौर के सहायक आयुक्त	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), किन्नौर	सहायक जन सूचना अधिकारी
2.	जिला लाहौल-स्पिति के लिए :	
(क)	लाहौल क्षेत्र के लिए :	
	उप मण्डल अधिकारी(ना.), केलंग	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), केलंग	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	काजा क्षेत्र के लिए :	
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, काजा (स्थिति के अनुसार)	जन सूचना अधिकारी
	निर्वाचन कानूनगो, काजा	सहायक जन सूचना अधिकारी
	जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	अपील प्राधिकारी

16. विभाग की सामान्य सूचना :

वर्ष 2013-14 के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा अध्याय-II में वर्णित मुख्य कार्यों को सम्पादित करवाया गया है।

अध्याय—II

विभाग के संविधिक(स्टैचूटरी) कार्य

(क) मतदान केन्द्रों की स्थापना:

- लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2002 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को समुचित संख्या में विभाजित करने के उपरान्त मतदान केन्द्रों की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति व माननीय संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं राजनैतिक दलों से पूर्व चर्चा के पश्चात् की गई।
- इन्हीं स्थापित मतदान केन्द्रों पर मतदाता लोक सभा एवं विधान सभा के विभिन्न निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के लिए मतदान करते हैं।
- मतदाता सूचियां मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती हैं। मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मतदाता सूचियों पर भी पड़ता है, अतः ये मतदान केन्द्र साधारणतया स्थाई तौर पर स्थापित किये जाते हैं तथा इनमें परिवर्तन किन्ही अपरिहार्य कारणों से ही आयोग की पूर्व अनुमति से किया जाता है।
- निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश का सदैव यह प्रयास रहा है कि समय-समय पर जनसाधारण को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जायें। इस आशय से कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बिखरी जनसंख्या एवं जंगली क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, मतदाता सूचियों की तैयारी से पूर्व समय-समय पर जनसाधारण अथवा राजनैतिक दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों/सुझावों के अनुसार मतदान केन्द्रों के भवनों को बदला जाता है और यदि आवश्यक समझा जाए तो नए मतदान केन्द्र स्थापित कर इनमें वृद्धि की जाती है।
- लोक सभा निर्वाचन 2014 के दौरान कुल 26 मतदान केन्द्र के भवनों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन उपरान्त मतदान केन्द्र के विद्यमान भवनों की स्थिति ठीक न होने के कारण स्थिति में परिवर्तन किया गया जिनकी प्रस्तावनाएं जिला निर्वाचन कार्यालयों से राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके प्राप्त हुई थी।
- इस समय प्रदेश में 7382 मतदान केन्द्र स्थापित हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों की पालना में जिला कांगड़ा के 20-बैजनाथ सभा निर्वाचन क्षेत्र के 99- बड़ा भंगाल मतदान केन्द्र, जिला सोलन के 54-कसौली (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र के 55-सनावर मतदान केन्द्र तथा जिला शिमला के 64-शिमला ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के 94- जतोग मतदान केन्द्र में मतदाताओं की सुविधा के हेतु निर्वाचन के समय एक-एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया।

● (ख) (1) फोटो मतदाता सूचियों की तैयारी :

- विभिन्न निर्वाचनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों एवम् निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाई जाती है। मतदाता सूचियों की तैयारी चार विधियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है:- (1) गहन पुनरीक्षण, (2) संक्षिप्त पुनरीक्षण, (3) आंशिक गहन एवम् संक्षिप्त पुनरीक्षण, (4) विशेष पुनरीक्षण। सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाता है। गहन पुनरीक्षण वाले वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण ही करवाया जाता है। उक्त मतदाता सूचियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी को मतदाताओं की 18 वर्ष की आयु अहर्ता को आधार मानकर तैयार की जाती है।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र वार तैयार की जाती है। मतदाताओं का डाटाबेस कम्प्युटरीकृत है तथा स्थाई किस्म का है। गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु प्रारूप मतदाता सूचियां प्रदाय की जाती है। इनमें मृतक व अपात्र मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जबकि पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये सूचियां मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायतों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में निर्धारित अवधि तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाती है।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2013 के दौरान 1,12,339 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये तथा 30,150 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये। अतः प्रथम जनवरी, 2013 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 5 अप्रैल व 6 मई, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 23,60,829 पुरुष तथा 22,57,708 महिला मतदाता अर्थात् कुल 46,18,537 मतदाता थे।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1.1.2014 की अहर्ता तिथि के आधार पर प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटो मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समययावधि
1.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में) ।	1 अक्टूबर, 2013
2.	दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर) ।	1 अक्टूबर, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/अनुभाग, ग्राम सभा/स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा/सत्यापन किया जाना ।	2 अक्टूबर, 2013 व 20 अक्टूबर, 2013
4.	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करना ।	6 अक्टूबर, 2013 व 27 अक्टूबर, 2013
5.	दावे/आक्षेपों का निपटारा ।	02 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2013
6.	डाटाबेस अद्यतन, फोटोग्राफ मर्जिंग, कन्ट्रोल टेबल अद्यतन तथा अनुपूरक सूचियों की तैयारी एवम् मुद्रण	30 दिसम्बर, 2013
7.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन ।	6 जनवरी, 2014

- प्रथम जनवरी, 2014 की अर्हक तिथि के आधार पर प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूची (1-10-2013) में पुरुष 23,64,354 तथा 22,57,747 महिला मतदाता अर्थात् कुल 46,22,101 मतदाता थे ।
- उपरोक्त पुनरीक्षण के दौरान 93,638 नए मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज किये गये तथा 41,552 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये । अतः प्रथम जनवरी, 2014 की अर्हक तारीख के आधार पर दिनांक 6 जनवरी, 2014 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 23,90,117 पुरुष तथा 22,84,070 महिला मतदाता अर्थात् कुल 46,74,187 मतदाता हो गए हैं । तत्पश्चात् निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया (Continuous Updation Process) के दौरान प्राप्त दावे और आक्षेपों का निपटारा सामान्य लोक सभा निर्वाचनों-2014 हेतु नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (दिनांक 19-04-2014) तक किया गया । इस प्रक्रिया के दौरान कुल 71,580 नये मतदाता फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में सम्मिलित किये गये तथा 1552 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये गये । सामान्य

लोक सभा निर्वाचनों-2014 हेतु राज्य के चारों लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में मतदाताओं का डाटा परिशिष्ट "क" पर संलग्नित है ।

- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2013 व विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2014 के बारे में जनसाधारण को जानकारी प्रदाय करने एवम् व्यापक प्रचार के लिए पोस्टर, प्रैस नोट और विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों व आकाशवाणी/एफ.एम. के माध्यम से विज्ञापन भी जारी किये गये । इसके साथ-साथ सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों(उपायुक्तों), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ए.डी.एम./ एस.डी.एम.) द्वारा भी न्यूज आईटम और प्रैस नोट जारी करके फील्ड में व्यापक प्रचार किया ताकि पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूचियों में सम्मिलित किया जा सके और मृत तथा स्थान परिवर्तित मतदाताओं के नामों को सूचियों से हटाया जा सके । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारम्भिक स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदान केन्द्र स्तर तक पात्र नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित करने हेतु तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम अपमार्जित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया ।

(2) सेवा अर्हता मतदाता:

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों के अन्तिम भाग के 2 अनुपूरक तैयार किये जाते हैं। इस वर्ष 1 जुलाई, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त आवेदनों पर 31 जनवरी, 2014 को पहला अनुपूरक मुद्रित किया गया जिसका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है।

(ग) सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) योजना के तहत प्रचार :

(1) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2013 तथा 2014 के दृष्टिगत प्रचार :

प्रथम जनवरी,2013 की अर्हता तिथि पर आधारित मानते हुए वर्ष 2013 में फोटो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को जागरूक करने का कार्य दो चरणों में किया गया । पहला दिनांक 16 फरवरी, 2013 से 5 अप्रैल, 2013 तक 65 निर्वाचन क्षेत्रों का तथा दूसरा दिनांक 20 मार्च 2013 से 6 मई, 2013 तक 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष पुनरीक्षण का कार्य किया ।

प्रथम जनवरी, 2014 की अर्हता तिथि पर आधारित मानते हुए वर्ष 2013 में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 01-10-2013 से 31-10-2013 तक किया गया । हर वर्ष की भांति वर्ष 2013 में मतदाता जागरण अभियान चलाया गया जिसके तहत निम्न कार्य किये गये :-

- बूथ लेवल अधिकारियों के विवरण यथा नाम, दूरभाष नम्बर इत्यादि की जानकारी समस्त आम जनता एवं मतदाताओं तक पहुंचाने हेतु एक अभियान के अन्तर्गत “अपने बूथ लेवल अधिकारी को जाने” एवं “Know your BLO” शीर्षक से सम्बन्धित स्टीकर तैयार कर आम जनता की जानकारी के लिए शहरी क्षेत्रों तथा ए.टी.एम. में चिपकवाएं गए तथा CEO website पर व्यापक प्रचार हेतु डाले गए,
- “आपका मत आपकी आवाज है” नामक शीर्षक विज्ञापन तैयार कर 2-मण्डी संसदीय लोकसभा उप-निर्वाचन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2013 को विज्ञापित किया गया,
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2014, नए मतदाता का हार्दिक अभिनन्दन सम्बन्धी विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 25 जनवरी, 2014 को विज्ञापित किया गया,
- मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया बारे आम जनता और मतदाताओं को जागरूक करने के सम्बन्ध में एक अभियान के तहत दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक दूरदर्शन केन्द्र, शिमला व आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया ।
- दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक दूरदर्शन केन्द्र, 95.0 BIG FM, Reliance Broadcast Network Ltd. व OYE 104.8 FM, के माध्यम से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी Audio Jingles का प्रसारण किया गया ।
- 40,000 पोस्टर, जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2014 से सम्बन्धित विस्तृत कार्यक्रम था, मुद्रित कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, स्वयं सहायता समूहों और बूथ लेवल अधिकारियों को वितरित किया गया ।
- 40,000 पैम्पलैट, जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2014 से सम्बन्धी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश का संदेश छपा था, मुद्रित कर जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को वितरित किए गए ।
- 20,000 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कलेंडर, जिसमें टोल फ्री नंबर 1950, निर्वाचन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट और चुनाव से संबंधित लोक शिकायत निवारण वेबसाइट की जानकारी दी गई थी, मुद्रित कर जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को वितरित किए गए ।
- 50,000 राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बैज तैयार कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को वितरित किए गए ।

(2) लोक सभा के साधारण निर्वाचन-2014 के दृष्टिगत प्रचार

- मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया बारे आम जनता और मतदाताओं को जागरूक करने के सम्बन्ध में एक अभियान के तहत दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक दूरदर्शन केन्द्र, शिमला व आकाशवाणी केन्द्र, शिमला से मतदाता पंजीकरण सम्बन्धी जनहितैषी घोषणाओं (Jingles) का प्रसारण किया गया ।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में 150 कैम्पस अम्बैसेडर की नियुक्ति स्कूल/कालेज स्तर पर की गई जिसके द्वारा नियुक्त कैम्पस अम्बैसेडर ने अपने कैम्पस में युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण तथा लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदान करने के लिए जागरूक किया ।
- बूथ लेवल अधिकारियों के विवरण यथा, नाम, पदनाम, पता, दूरभाष नम्बर की जानकारी आम जनता एवं मतदाताओं तक पहुंचाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैवसाईट पर अपलोड किए गए ।
- श्री आमिर खान, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के National Icon हैं का लोकसभा निर्वाचन से सम्बन्धित संदेश सभी जिलों में व्यापक प्रचार हेतु भेजा गया तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैवसाईट पर भी अपलोड किया गया ।

(3) चतुर्थ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2014 के दृष्टिगत प्रचार

- हर वर्ष की भांति 25 जनवरी, 2014 को भी आम जनता में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति उत्साह जगाने, मताधिकार के महत्व, मतदाता के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में मतदाताओं विशेषतया युवा मतदाताओं की भूमिका से भी अवगत करवाने के उद्देश्य से राज्य, जिला तथा मतदान केन्द्र स्तर पर “ राष्ट्रीय मतदाता दिवस ” समारोह का सफल आयोजन किया गया । इस दौरान आयोग के निर्देशानुसार नव पंजीकृत मतदाताओं को उनके सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर आयोग के द्वारा निर्धारित बैज (Badge) प्रदान करके सम्मानित किया गया ।
- उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर पर जिला शिमला का जिला स्तरीय समारोह पूर्व की भान्ति ही संयुक्त रूप से मल्टिपरपज हाल, गेयटी थियेटर काम्पलैक्स, शिमला में मनाया गया । माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.डी.सूद, न्यायधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय समारोह के मुख्य अतिथि थे । समारोह के आरम्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री बी.एस.सम्पत द्वारा मतदाता दिवस के अवसर पर दिया गया संदेश दिखाया गया । राज्य स्तरीय समारोह में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अब थियेटर गुप, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ज्ञान विज्ञान समिति के सांस्कृतिक दलों द्वारा “राष्ट्रीय मतदाता दिवस” के अवसर पर नए

मतदाताओं को शतप्रतिशत मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदान हमारी नैतिक जिम्मेबारी पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। Cultural Icon श्री करनैल राणा, ने भी सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से नव पंजीकृत मतदाताओं को जागरूक किया।

इस दौरान मुख्य अतिथि श्री डी.डी.सूद, न्यायधीश, ने Cultural Icons श्री करनैल राणा व कुमारी शालिनी शर्मा को पुरस्कार से सम्मानित किया तथा 62-कसुम्पटी, 63-शिमला तथा 64-शिमला ग्रामीण के बूथ लेबल अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया।

(घ) मतदाता फोटो पहचान पत्र:

- भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुरूप राज्य के शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने एवं मतदाता सूची में 100% फोटो व्याप्ति व मतदाता फोटो पहचान पत्र व्याप्ति का लक्ष्य 01.01.2012 अर्थात् तिथि के आधार पर दिनांक 6.01.2012 व 20.01.2012 को अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में प्रदेश के समस्त 68 सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कर लिया गया।
- दिनांक 16.02.13 से 06.05.13 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 1,12,339 तथा 12,933 डुप्लीकेट, कुल 1,25,272 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्रवार व जिलावार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध “ग” पर दिया गया है।
- दिनांक 07.05.13 से 30.9.13 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 8,373 तथा 516 डुप्लीकेट, कुल 8889 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्रवार व जिलावार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध “घ” पर दिया गया है।
- दिनांक 1.10.13 से 5.1.14 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 93,638 तथा डुप्लीकेट 12,965, कुल 1,06,603 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्रवार व जिलावार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध “ड.” पर दिया गया है।
- दिनांक 06.01.14 से 19.4.14 तक नए पंजीकृत मतदाताओं के 71,580 तथा डुप्लीकेट 2,862, कुल 74,442 पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए हैं। विधान सभा क्षेत्रवार व जिलावार तैयार किए गए नए व डुप्लीकेट पहचान पत्रों का विवरण अनुबन्ध “च” पर दिया गया है।

(ड.) राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति निर्वाचन:

भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों का प्रावधान है (अनुच्छेद 52 व 63), जिनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में करवाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 324 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त निर्वाचक मण्डल (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तथा लोक सभा/राज्य सभा के अतिरिक्त/ संयुक्त सचिव एवं समस्त राज्य विधान सभाओं के सचिव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। संसद एवं राज्य विधान सभाओं के परिसरों में मतदान के लिये स्थान निर्धारित किया जाता है। उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त/संयुक्त सचिव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और संसद भवन परिसर में ही मतदान के लिए स्थान नियत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 702 एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 51 निर्धारित है। राष्ट्रपति/ उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में करवाये जाते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाये जाते हैं।

वर्ष 2013-2014 में राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति पद हेतु कोई भी निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन जुलाई, 2017 में करवाये जाने हैं।

(च) राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन :

हिमाचल प्रदेश को राज्य सभा में कुल तीन सीटें आंशिक हैं। राज्य सभा संसद का स्थाई सदन होने तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होने के कारण प्रत्येक 2 वर्षीय अवधि में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् एक सदस्य रिटायर होता है जिसकी रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन करवाये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और विधान सभा सदस्यों द्वारा मतदान के लिए स्थान भी विधान सभा परिसर में ही निर्धारित किया जाता है।

श्री शान्ता कुमार राज्य सभा सदस्य के मार्च, 2014 को अपनी पदावधि के अवसान पर निवृत्त होने के फलस्वरूप एक रिक्ति हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का 43) की धारा 39 के अन्तर्गत राज्य सभा की एक सीट के लिये निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम जारी किया :-

1.	निर्वाचन के आह्वान की अधिसूचना	21 जनवरी, 2014 (मंगलवार)
2.	नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख	28 जनवरी, 2014 (मंगलवार)
3.	नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख	29 जनवरी, 2014 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	31 जनवरी, 2014 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	7 फरवरी, 2014 (शुक्रवार)
6.	निर्वाचन सम्पन्न किये जाने की तिथि	10 फरवरी, 2014 (सोमवार)

उपरोक्त निर्वाचनों के लिए मतदान का स्थान डा0वाई0एस0परमार विधान सभा लाईब्रेरी हाल में नियत किया गया था तथा मतदान 9.00 पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक विनिर्दिष्ट किया गया था। इस निर्वाचन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्रीमती, विप्लव ठाकुर जिला कांगडा, के नाम निर्देशन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी दल के किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया। परिणामतः श्रीमती विप्लव ठाकुर (इंडियन नेशनल कांग्रेस) राज्य सभा के लिए निर्विरोध सदस्य निर्वाचित घोषित हुई। वर्तमान में निम्नलिखित सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं :

1.	श्रीमती बिमला (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2010 से
2.	श्री जगत प्रकाश नड्डा (भारतीय जनता पार्टी)	22-3-2012 से
3.	श्रीमती विप्लव ठाकुर (इंडियन नेशनल कांग्रेस)	31-1-2014 से

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सदस्यों की दलीय स्थिति

राजनैतिक दल का पूरा नाम	सदस्यों की संख्या	विधान परिषद	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4
1. इंडियन नेशनल काँग्रेस	36	—	—
2. भारतीय जनता पार्टी	26	—	—
3. लोक हित पार्टी	1	—	—
4. निर्दलीय	5	—	—
कुल	68		

(छ) लोक सभा निर्वाचन-2014 :

16वीं लोक सभा के गठन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2014 को 9 चरणों में सम्पन्न करवाने की घोषणा दिनांक 5.3.2014 को की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश में लोक सभा निर्वाचन के साथ-साथ 37-सुजानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन भी 8वें चरण में करवाये गये जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	19 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
3. नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	21 अप्रैल, 2014 (सोमवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	23 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
5. मतदान की तारीख	7 मई, 2014 (बुधवार)
6. मतगणना की तारीख	16 मई, 2014 (शुक्रवार)
7. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	28 मई, 2014 (बुधवार)

लोक सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार से है :-

1. मतदान केन्द्रों की संख्या	7385
2. मतदाताओं की संख्या	48,10,071
3. मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं प्रतिशतता	31,00,199 (64.45%)
4. नाम निर्देशन अभ्यर्थियों की संख्या	50
5. रद्द किये गये नाम निर्देशन पत्र	10
6. अभ्यर्थिता वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	2
7. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	38
8. प्रति मतदान केन्द्र की दर से औसत मतदाताओं की संख्या	651
9. मतदान की तिथि	7.5.2014
10. मतगणना की तिथि	16.5.2014
11. वैध मतों की संख्या	30,69,345
12. रद्द मतपत्रों की संख्या	1,699
13. नोटा (NOTA) के लिए डाले गये मतों की संख्या	29,155
14. परोक्षी (Proxy) मतों की संख्या	84

16वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची तथा उनका पार्टीवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	दल संबद्धता (यदि कोई हो)
1	2	3
1-कांगड़ा	शांता कुमार	भारतीय जनता पार्टी
2-मण्डी	राम स्वरूप शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
3-हमीरपुर	अनुराग ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
4-शिमला (अ०जा०)	वीरेन्द्र कश्यप	भारतीय जनता पार्टी

इसके अतिरिक्त 37-सुजानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र ठाकुर निर्वाचित घोषित हुए।

अध्याय-III

प्रशासनिक कार्य

(क) स्थापना सम्बन्धी कार्य:

(I) अधिकारी व कर्मचारी वर्ग:

निर्वाचन विभाग में दिनांक 31-3-2014 को विभिन्न श्रेणियों के निम्न 326 पद नियमित आधार पर स्वीकृत थे :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.
श्रेणी-I			
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन) (भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी)	67000-79000 +10000/- ग्रेड पे	1
2.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप सचिव (निर्वाचन) (हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी)	15600-39100 +5400/- ग्रेड पे	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	15600-39100 +6600/- ग्रेड पे	1
4.	निर्वाचन अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित)	10300-34800 +5400/- ग्रेड पे	1
5.	अनुभाग अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित)	15600-39100 +5400/- ग्रेड पे	2
6.	निजी सचिव, श्रेणी-I (राजपत्रित)	15600-39100 +5400/- ग्रेड पे	1
7.	प्रोग्रामर, श्रेणी-I (राजपत्रित)	10300-34800 +5000/- ग्रेड पे	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित)	10300-34800 +5000/- ग्रेड पे	12
श्रेणी-II			
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II (राजपत्रित)	10300-34800 +4200/- ग्रेड पे	13
10.	अधीक्षक, ग्रेड-II, श्रेणी-II (अराजपत्रित)	10300-34800 +4800/- ग्रेड पे	6
श्रेणी-III			
11.	वरिष्ठ सहायक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +4400/- ग्रेड पे	25
12.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +4400/- ग्रेड पे	1
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +3200/- ग्रेड पे	2
14.	निर्वाचन कानूनगो, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +4200/- ग्रेड पे	70

15.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +3600/- ग्रेड पे (after completion of 2 years regular service) 5910-20200 +2800/- ग्रेड पे (entry grade pay scale)	1
16.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10300-34800 +3600/- ग्रेड पे (लिपिकों के कुल स्वीकृत काडर का 50 प्रतिषत) 10300-34800 +3200/- ग्रेड पे (लिपिकों के कुल स्वीकृत काडर का 50 प्रतिषत) (after completion of 2 years regular service) 5910-20200 +1900/- ग्रेड पे (entry grade pay scale)	84
17.	चालक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	5910-20200 +2400/- ग्रेड पे (after completion of 2 years regular service) 5910-20200 +2000/- ग्रेड पे (entry grade pay scale)	2
श्रेणी-IV			
18.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1800/- ग्रेड पे	1
19.	दफ्तरी, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1800/- ग्रेड पे	1
20.	चपड़ासी, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1650/- ग्रेड पे (after completion of 2 years regular service) 4900-10680 +1300/- ग्रेड पे (entry grade pay scale)	85
21.	चौकीदार, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1650/- ग्रेड पे (after completion of 2 years regular service) 4900-10680 +1300/- ग्रेड पे (entry grade pay scale)	12
22.	स्वीपर, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	4900-10680 +1650/- ग्रेड पे (after completion of 2 years regular service) 4900-10680 +1300/- ग्रेड पे (entry grade pay scale)	3
योग :-			326

उपरोक्त 326 नियमित स्वीकृत पदों में से दिनांक 31-3-2014 को विभिन्न श्रेणियों के निम्न 33 पद

रिक्त थे :-

क्र०सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-II (राजपत्रित)	1
2.	अधीक्षक, ग्रेड-II, श्रेणी-II (अराजपत्रित)	1
3.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	1
4.	निर्वाचन कानूनगो, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	8
5.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	1
6.	लिपिक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	18
7.	चपड़ासी, श्रेणी-IV(अराजपत्रित)	3
8.	चौकीदार, श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	1
योग :-		43

इसके अतिरिक्त विभाग में दैनिक भोगी / अंशकालिक आधार पर निम्न 9 पद स्वीकृत थे:-

क्र०सं०	पद का नाम	कार्यालय का नाम जहां के लिए पद स्वीकृत है	स्वीकृत पद
1.	चौकीदार=1 (दैनिक भोगी आधार पर)	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला के लिए।	1
2.	स्वीपर=3 (दैनिक भोगी आधार पर)	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला व बिलासपुर के लिए एक-एक की दर से।	3
3.	स्वीपर=5 (अंशकालिक आधार पर)	जिला निर्वाचन कार्यालय, मण्डी, ऊना, चम्बा, केलंग व रिकांगपिओ के लिए एक-एक की दर से।	5

दैनिक भोगी / अंशकालिक आधार पर स्वीकृत उक्त 9 पदों में से दिनांक 31-3-2014 को विभाग में सभी पद भरे हुए थे।

(II) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया:-

S.N.	Name of category	Subject matter.	Date of DPC Meeting.
1.	Tehsildar (Election).	Promotion.	12-6-2013,13-3-2014
2.	Tehsildar (Election)/Naib-Tehsildar(Election).	ACPS	5-8-2013
3.	Naib-Tehsildar (Election).	Promotion.	12-6-2013, 9-9-2013, 13-3-2014
4.	Superintendent, Grade-II	Promotion.	30-12-2013 & 29-3-2014

5.	Election Kanungo.	ACPS	30-12-2013
6.	Clerk.	Placement.	30-12-2013
7.	Clerk/Junior Assistant.	ACPS	24-7-2013
8.	Peons and Chowkidars.	ACPS	23-5-2013, 6-8-2013, 22-10-2013,20-2-2014
9.	Gestetnor Operator.	Promotion.	28-6-2013
10.	Daftri.	Promotion.	28-6-2013
11.	Peon and Chowkidars.	Regularization of daily wager employees.	29-8-2013,6-1-2014, 29-3-2014

(III) रिक्त पदों की पूर्ति :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति से निम्न पदों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र० सं०	पद का नाम	श्रेणी	जिस आधार पर नियुक्ति की गई	भर्ती एजेन्सी
1.	निर्वाचन कानूनगो=8	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर=6 स्थायी अन्तर्लयन द्वारा=2	हि० प्र० अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर/भूतपूर्व सैनिक सैल, हमीरपुर के माध्यम से।
2.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक=1	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर=1	-यथो-
3.	लिपिक=4	श्रेणी-III (अराजपत्रित)	अनुबन्ध आधार पर=4	-यथो-
4.	चपड़ासी / चौकीदार=13	श्रेणी-IV (अराजपत्रित)	दैनिक भोगी दर पर=2 सेकण्डमेंट आधार पर/ स्थायी अन्तर्लयन द्वारा =11	अधिषेष् पूल में से

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न 16 रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र.सं.	पद का नाम व श्रेणी जिससे पद सम्बन्धित है	भरे गए रिक्त पदों की संख्या
1.	तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-I (राजपत्रित)	3
2.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-II (राजपत्रित)	3
3.	अधीक्षक, ग्रेड-II, श्रेणी-II (अराजपत्रित)	1
4.	वरिष्ठ सहायक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	7
5.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
6.	दफ्तरी	1

(IV) अधिनियमों/नियमों का अधिनियमन:

निर्वाचन विभाग के अपने कोई भी नियम/अधिनियम नहीं है। परिणामतः विभाग केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों के अधीन कार्य करता है। निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन अद्यतन रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग का प्रशासनिक कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों एवं अनुदेशों तथा हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली, 1971 के अन्तर्गत जारी किए गए विभागीय स्थाई आदों के अधीन संचालित किया जाता है।

(V) अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियाँ :-

निर्वाचन विभाग द्वारा अपने समस्त वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2014 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियाँ दिनांक 10 मार्च, 2014 को अन्तिम रूप से जारी कर दी गई है।

(VI) अनुशासनहीनता के मामले :-

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के एक तहसीलदार (निर्वाचन) व एक चपड़ासी को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों की उल्लंघना के लिए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अधीन दोषारोपित किया गया है। उक्त दोनो अनुशासनहीनता के मामलों की सम्बन्धित नियमों के अधीन विभागीय जांच जारी है।

(VII) सतर्कता मामले :-

विभाग में इस समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित कोई भी मामला नहीं है।

(VIII) न्यायालय मामले :-

निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सेवा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध दिनांक 31.3.2013 को माननीय न्यायालय में निम्न 5 मामले विचाराधीन थे। दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2014 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के विरुद्ध माननीय न्यायालय में 3 मामले दायर किये गये :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ओ.ए. संख्या तथा दिनांक	न्यायालय मामले का संक्षेप में विवरण	उत्तर दायर करने की तिथि	अभियुक्ति/ निपटारे की तिथि
1.	हि.प्र. राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ	99/2008 11-1-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-27)	तहसीलदार (निर्वाचन) के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन बारे।	06-02-2008	कोई नहीं
2.	श्रीमती कमलेश शर्मा, पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारी।	8853/2011 15-10-2011 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-33)	विभाग में नियमित लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	19-10-2011	कोई नहीं
3.	श्रीमती सुमन देवी बनाम राज्य	533/2013 23-01-2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-34)	पदोन्नति प्रदान करने बारे।	29-08-2012	कोई नहीं

4.	श्री नवजीवन मनकोटिया बनाम राज्य सरकार	5650 / 2012 20-07-2012 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-36)	स्थानान्तरण सम्बन्धी।	23-01-2013	12-06-2013
5.	श्री संजय ठाकुर बनाम राज्य सरकार	620 / 2013 08-02-2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-36)	स्थानान्तरण सम्बन्धी।	08-02-2013	29-07-2013
6.	श्री विजय कुमार बनाम राज्य सरकार	2085 / 2013 25-04-2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-38)	विभाग में सेवा को निरन्तर करने बारे।	03-07-2013	कोई नहीं
7.	श्री सुरेश कुमार बनाम राज्य सरकार	सी ओ पी सी न0 5157 / 2013 19-09-2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-39)	दैनिक भोगी रूप में 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से नियमितिकरण करने बारे।	15-10-2013	26-11-2013
8.	श्री काकन शर्मा बनाम राज्य सरकार	1738 / 2013 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-40)	विभाग में सेवा को निरन्तर करने बारे।	-	03-07-2013

उपरोक्त न्यायालय मामलों में से क्रम संख्या-4,5,7 व 8 पर वर्णित मामलों का माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निपटाया किया गया जबकि अन्य 4 मामले अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(IX) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना व ई-समाधान को लागू करना :-

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना मुख्यालय व समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कर दी गई है। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठों को जन-साधारण की सुविधा हेतु ई-समाधान साफ्टवेयर द्वारा इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है ताकि जन-साधारण अपनी शिकायत ओन लाईन दर्ज करवा सके।

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश, भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवम् निर्देशन में आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग मुख्यालय में जन-साधारण की सुविधा के लिये "Call Centre" खोला गया है जिसके तहत शिकायतों का निवारण तथा विभाग के कार्यों से सम्बन्धित सही जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस काल सैन्टर जिसका नम्बर 1950 है में लोग निर्वाचन सम्बन्धी कार्य जैसे प्रदेश की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन संचालन सम्बन्धी कुरीतियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों सम्बन्धी जानकारी या विभाग की अन्य गतिविधियों के बारे में प्रश्न/शिकायत कर सकते हैं उक्त "Call Centre" प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य करता है।

सर्व साधारण अपनी शिकायत इन्टरनेट के माध्यम से भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (<http://ceohimachal.nic.in>) के लिंक “Public Grievance Redress related to Elections” पर दर्ज करवा सकते हैं ।

(X) वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) :

कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख को समय-समय पर on-line update किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिकाएं कम्प्यूट्रीकृत कर दी गई है।

(XI) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

(i) पृष्ठभूमि:- भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120 वे दिन) को लागू हुआ था। यह अधिकार बोलने के अधिकार तथा जीवनयापन के अधिकार के आधार पर तैयार किया गया है। इस अधिनियम की यह अपेक्षा है कि जन सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करें। यदि कोई जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित सूचना प्रदाय नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने से इनकार किया गया है। जन सूचना अधिकारी के लिए मामले के निपटान हेतु समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय न करने की स्थिति में आवेदक अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उसे प्रदाय न करने की स्थिति में दोषी जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण किए जाने का प्रावधान है, यदि वे बिना किसी कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की अधिकतम राशि 25,000/-रूपए तक हो सकती है।

(ii) सूचना प्राप्त करने हेतु फीस/शुल्क : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदाय करने हेतु अपने नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आवेदन पत्र का शुल्क 10/-रूपए निर्धारित किया गया है। सूचना तैयार होने पर इसकी कीमत निम्न प्रकार से है:-

1	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो।	प्रकाशित मूल्य पर
2	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 2/-रुपए प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत भी 2/-रुपए प्रति पृष्ठ होगी।
3	जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो, जैसे फ्लापी, सी. डी. इत्यादि।	50/-रुपए प्रति फ्लॉपी और 100/-रुपए प्रति सी. डी.।
4	रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	20/-रुपए प्रति 30 मिनट अथवा इसके अंश के लिए।

रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात 1-4-2013 से 31-3-2014 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विभाग में कुल 36 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "छ" पर संलग्न हैं।

(X) प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013-2014 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में स्थापित India International Institute of Democracy and Election Management, में प्रशिक्षित State Level Master Trainers ने लोक सभा निर्वाचन-2014 के दृष्टिगत निर्वाचन अधिकारियों व कर्मचारियों को Divisional Headquarters स्तर पर माह सितम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक निर्वाचन को सुचारु व सफल बनाने के लिये विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

Divisional Headquarters में प्रशिक्षित Master Trainers द्वारा निर्वाचनों के सुचारु संचालानार्थ प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लोक सभा निर्वाचन को सफलतापूर्ण सम्पन्न किया जा सका।

(ख) लेखा परीक्षा मामले :

निर्वाचन विभाग में वर्ष 2013-2014 में कुल एक रिपोर्ट व एक पैरा है, जिसके निपटारे हेतु विभाग प्रयासरत्त है।

(ग) भण्डार एवं सामग्री :

वर्ष 2013-2014 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2014 को अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्ररूपों तथा लेखन सामग्री का

मुद्रण/प्रापण मुद्रण एवम् लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0 से करवाने के पश्चात दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को समस्त सामग्री एवम् प्ररूप जिलों को वितरित किए गए।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी समयबद्ध कार्य के निष्पादन हेतु जिला स्तर पर स्थापित विभिन्न प्रकार के प्रिन्टर्स हेतु लेजर टोनर 4 अक्टूबर, 2013 को समस्त जिलों को प्रदाय किए गए।

लोक सभा हेतु हिमाचल प्रदेश के 2-मण्डी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन, 2013 हेतु विभिन्न प्रकार के प्ररूप, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री को भी हिमाचल प्रदेश, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से मुद्रित करवाकर दिनांक 27 मई, 2013 से 29 मई, 2013 तक सम्बन्धित समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को वितरित किया गया। निर्वाचन अधिनियम सम्बन्धी पुस्तकें, इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों हेतु बैटरी, पिक पेपर सीलें, ग्रीन पेपर सीलें, आउटर पेपर स्ट्रिप सीलें, आदि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित फर्मों से क्रय करने के पश्चात सम्बन्धित जिलों को प्रदाय की गई।

विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु, 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2013-14 में निर्वाचन मुख्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालयों तथा उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों हेतु 74 कम्प्युटर, 01 लेजरजैट प्रिन्टर (9050), 02 यू0पी0एस0 (2के0वी0ए0), 04 लेजरजैट प्रिन्टर (3015डी), 03 स्कैनर (HP Scanjet6310) तथा 01 स्कैनर (G4010) हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से क्रय किए गए, जिस हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हि0 प्र0 से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया।

निर्वाचन विभाग मुख्यालय में विडियो कान्फ्रेंस करने की सुविधा हेतु 03 Webcam, 03 Clear chat speakers तथा एक सैमसंग टैलीवीजन भी हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से क्रय किए गए।

नव सृजित उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों किन्नौर, लाहौल व स्पिति, बंगाणा तथा संगडाह हेतु फर्नीचर की वस्तुयें भी वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात हि0प्र0 सामान्य उद्योग निगम से वित्त वर्ष 2013-14 में क्रय की गई।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गेयटी थियेटर, शिमला में मनाया गया। इसके अतिरिक्त जिला से लेकर बूथ स्तर तक भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। नए पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित करने हेतु 10,000 बैज तैयार किए गए और बूथ स्तर तक इनका समय पर वितरण किया गया।

विभाग की गतिविधियों तथा आवश्यक जानकारी को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिये कलैण्डर की 30,000 प्रतियां हिमाचल प्रदेश प्रिंटिंग प्रैस से मुद्रित करवाई गई तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इन्हें वितरित किया गया।

(घ) विभाग में कम्प्यूटरीकरण:

निर्वाचन विभाग का लगभग पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। मुख्यालय में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। कम्प्यूटरीकृत मुख्य कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

1. मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण।
2. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य।
3. लोकसभा चुनाव-2013 के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण।
4. विभागीय बैवसाइट को अपडेट व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध करना।
5. विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. कॉल सेंटर की सुविधा।
7. सामान्य कार्यालय पत्र व्यवहार।

मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर पर किया गया है। मतदाता सूचियों की डाटा एन्ट्री का कार्य जिला मुख्यालय व उप-मण्डल स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है और मतदाताओं का डाटा HIMSWAN Internet के माध्यम से DIT के डाटा केन्द्र के सर्वर में सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय ERMS-Software में डाटा एन्ट्री करना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फार्म-6, 6क, 7, 8 व 8क की approval/rejection करना, फोटो को डाटाबेस में merge करना, EPICs को generate व प्रिंट करना व मतदाता सूचियों की PDF Files तैयार करने का प्रशिक्षण सभी जिलों के कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

2-मण्डी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार किया गया इन चुनावों में मतदान के दिन सभी मतदान केन्द्रों से विभिन्न प्रकार का डाटा पीठासीन अधिकारियों द्वारा SMS के द्वारा भेजा गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र विभागीय बैवसाइट पर लोड किये गये। लोकसभा उपचुनाव-2013 के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण भारत निर्वाचन आयोग को किया गया।

मण्डी, कुल्लु, लाहौल स्पिति, चम्बा, किन्नौर तथा शिमला जिला के निर्वाचन कानूनगो व कर्मचारियों को SMS Based Poll Day Monitoring Software में काम करने का प्रशिक्षण राज्य मुख्यालय व निर्वाचन कार्यालय मण्डी में दिया गया।

सेवा अर्हता मतदाताओं के वर्ष 2014 के अनुपूरक-1 की मतदाता सूचियों को तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गई।

विभाग द्वारा अपनी बैवसाइट <http://ceohimachal.nic.in> तैयार की गई है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध है। सभी मतदाताओं का डाटाबेस भी इस बैवसाइट पर डाला गया है जिसमें मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों को पी.डी.एफ. फॉरमेट में बैवसाइट पर डाला गया है।

ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को विभागीय बैवसाइट पर प्रदान की गई है। इस सुविधा से हिमाचल के नागरिक इंटरनेट के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवेदन (फार्म-6), मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन (फार्म-7), मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टी में विद्यमान त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवेदन (फार्म-8) व मतदाता सूची में प्रविष्टी को विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (फार्म-8क) भर सकते हैं।

- **कॉल सैन्टर की सुविधा:-**

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के मतदाताओं एवं अन्य सम्बन्धितों की सुविधा के लिए शिमला मुख्यालय में एक टोल फ्री कॉल सैन्टर स्थापित किया है। टोल फ्री कॉल सैन्टर का नम्बर 1950 है जिस पर निम्न प्रकार से फोन किया जा सकता है:-

हिमाचल प्रदेश राज्य से - 1950 (लैन्डलाईन व मोबाइल फोन से)

हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से - 01771950 (लैन्डलाईन व मोबाइल फोन से)

इस कॉल सैन्टर में लोग निर्वाचन सम्बन्धित शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं उदाहरणतयः प्रदेश की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन संचालन सम्बन्धी कुरितियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों सम्बन्धी जानकारी या विभाग के बारे में प्रश्न कर सकते हैं।

सर्वसाधारण अपनी शिकायतें इन्टरनेट के माध्यम से भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (["http://ceohimachal.nic.in"](http://ceohimachal.nic.in)) के लिंक "Public Grievance Redress related to Elections" पर दर्ज कर सकते हैं।

(ड.) मतदाता सूचियों व मतदाता फोटो पहचान पत्रों से सम्बन्धित शिकायतें :

वर्ष 2013-14 के दौरान मतदाता सूचियों व मतदाता फोटो पहचान पत्रों से सम्बन्धी कुल 74 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" पर है।

Parliamentary Constituency Wise General Electors as on last date of filing nominations (i.e.19-04-2014)						
Sr.No.	No & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency	Registered Electors			
			General Electors			
			Men	Women	Other	Total
1	2	3	6	7	8	9
1	1-Kangra	1-Churah (SC)	32652	30972	0	63624
2		3-Chamba	36022	34913	0	70935
3		4-Dalhousie	32605	30438	0	63043
4		5-Bhattiyat	33868	32596	0	66464
5		6-Nurpur	39454	36753	0	76207
6		7-Indora (SC)	39809	36289	0	76098
7		8-Fatehpur	37641	35794	0	73435
8		9-Jawali	42059	40519	0	82578
9		12-Jawalamukhi	34059	33183	0	67242
10		13-Jaisinghpur (SC)	35889	38400	0	74289
11		14-Sullah	44508	45807	0	90315
12		15-Nagrota	38419	37209	0	75628
13		16-Kangra	36030	34471	0	70501
14		17-Shahpur	37260	35886	0	73146
15		18-Dharamshala	35325	32651	0	67976
16		19-Palampur	33524	32158	0	65682
17		20-Baijnath (SC)	38693	38008	0	76701
Parliamentary Constituency			627817	606047	0	1233864
1	2-Mandi	2-Bharmour (ST)	35073	32626	0	67699
2		21-Lahaul & Spiti (ST)	11281	11300	0	22581
3		22-Manali	32543	31022	0	63565
4		23-Kullu	40030	38182	0	78212
5		24-Banjar	32582	31037	0	63619
6		25-Anni (SC)	38454	36019	0	74473
7		26-Karsog (SC)	32563	30557	0	63120
8		27-Sundernagar	35770	34336	0	70106
9		28-Nachan (SC)	36493	36020	0	72513
10		29-Seraj	36227	33710	0	69937
11		30-Darang	38376	36935	0	75311
12		31-Jogindernagar	42666	43720	0	86386
13		33-Mandi	32732	33588	0	66320
14		34-Balh (SC)	33338	33615	0	66953
15		35-Sarkaghat	38393	39214	0	77607
16		66-Rampur (SC)	35771	32790	0	68561
17		68-Kinnaur (ST)	27444	26082	0	53526
Parliamentary Constituency			579736	560753	0	1140489

Sr.No.	No & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency	Registered Electors			
			Genral Electors			
			Men	Women	Other	Total
1	2	3	6	7	8	9
1	3-Hamirpur	10-Dehra	35436	35764	0	71200
2		11-Jaswan-Pragpur	35223	34205	0	69428
3		32-Dharampur	34030	35805	0	69835
4		36-Bhoranj (SC)	34923	37354	0	72277
5		37-Sujanpur	31626	33731	0	65357
6		38-Hamirpur	33650	33994	0	67644
7		39-Barsar	37176	39013	0	76189
8		40-Nadaun	40739	41444	0	82183
9		41-Chintpurni (SC)	37704	35574	0	73278
10		42-Gagret	36069	34910	0	70979
11		43-Haroli	38680	35899	1	74580
12		44-Una	38816	36754	0	75570
13		45-Kutlehar	37950	37093	0	75043
14		46-Jhanduta (SC)	34647	33205	0	67852
15		47-Ghumarwin	38176	38552	0	76728
16		48-Bilaspur	36987	35992	0	72979
17		49-Sri Naina Deviji	33176	30536	0	63712
	Parliamentary Constituency		615008	609825	1	1224834
1	4-Shimla (SC)	50-Arki	40352	38752	0	79104
2		51-Nalagarh	39765	36348	1	76114
3		52-Doon	29247	26426	0	55673
4		53-Solan (SC)	40174	36582	0	76756
5		54-Kasauli (SC)	32257	28254	0	60511
6		55-Pachhad (SC)	33885	31121	0	65006
7		56-Nahan	36900	34034	0	70934
8		57-Sri Renukaji (SC)	31825	29096	0	60921
9		58-Paonta Sahib	37885	32674	0	70559
10		59-Shillai	34195	27440	0	61635
11		60-Chopal	35727	32181	0	67908
12		61-Theog	38238	36486	0	74724
13		62-Kasumpti	33684	30195	0	63879
14		63-Shimla	31829	25929	0	57758
15		64-Shimla Rural	37181	34469	0	71650
16		65-Jubbal-Kotkhai	32702	32268	0	64970
17		67-Rohru (SC)	34970	31956	0	66926
	P.C. Total		600816	544211	1	1145028
	State Total		2423377	2320836	2	4744215

Assembly Constituency-wise data of Service Electors as on 31.01.2014			
No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
Disrict Chamba			
1-Churah (SC)	236	85	321
2-Bharmour (ST)	177	65	242
3-Chamba	182	54	236
4-Dalhousie	199	46	245
5-Bhattiyat	1636	616	2252
Total	2430	866	33296
Disrict Kangra			
6-Nurpur	1361	680	2041
7-Indora (SC)	1091	480	1571
8-Fatehpur	1248	299	1547
9-Jawali	1135	184	1319
10-Dehra	1391	594	1985
11-Jaswan-Pragpur	978	391	1369
12-Jawalamukhi	1093	392	1485
13-Jaisinghpur (SC)	1508	754	2262
14-Sullah	1897	508	2405
15-Nagrota	1014	349	1363
16-Kangra	610	194	804
17-Shahpur	1352	704	2056
18-Dharamshala	916	454	1370
19-Palampur	1187	255	1442
20-Baijnath (SC)	1406	612	2018
Total	18187	6850	25037
Disrict Lahaul and Spiti			
21-Lahaul&Spiti(ST)	356	103	459
Total	356	103	459
Disrict Kullu			
22-Manali	98	33	131
23-Kullu	175	49	224
24-Banjar	143	64	207
25-Anni (SC)	124	40	164
Total	540	186	726

1	2	3	4
Disrict Mandi			
26-Karsog (SC)	145	13	158
27-Sundernagar	406	70	476
28-Nachan (SC)	591	102	693
29-Seraj	147	36	183
30-Darang	676	166	842
31-Jogindernagar	1191	21	1212
32-Dharampur	1265	350	1615
33-Mandi	1016	216	1232
34-Balh (SC)	807	175	982
35-Sarkaghat	1565	583	2148
Total	7809	1732	9541
Disrict Hamirpur			
36-Bhoranj (SC)	1577	330	1907
37-Sujanpur	2153	491	2644
38-Hamirpur	1205	244	1449
39-Barsar	1731	198	1929
40-Nadaun	1307	213	1520
Total	7973	1476	9449
Disrict Una			
41-Chintpurni (SC)	704	123	827
42-Gagret	1088	185	1273
43-Haroli	840	219	1059
44-Una	453	76	529
45-Kutlehar	1080	257	1337
Total	4165	860	5025
Disrict Bilaspur			
46-Jhanduta (SC)	936	214	1150
47-Ghumarwin	1036	224	1260
48-Bilaspur	498	114	612
49-Sri Naina Deviji	322	78	400
Total	2792	630	3422
Disrict Solan			
50-Arki	651	272	923
51-Nalagarh	782	263	1045
52-Doon	477	187	664
53- Solan (SC)	291	113	404
54-Kasauli (SC)	404	160	564
Total	2605	995	3600

1	2	3	4
Disrict Sirmour			
55-Pachhad (SC)	351	43	394
56-Nahan	697	235	932
57-Sri Renukaji (SC)	398	84	482
58-Paonta Sahib	466	65	531
59-Shillai	281	30	311
Total	2193	457	2650
Disrict Shimla			
60-Chopal	235	69	304
61-Theog	299	110	409
62-Kasumpti	149	37	186
63-Shimla	109	59	168
64-Shimla Rural	447	172	619
65-Jubbal-Kotkhai	137	74	211
66-Rampur (SC)	89	40	129
67-Rohru (SC)	147	41	188
Total	1612	602	2214
Disrict Kinnaur			
68-Kinnaur (ST)	391	46	437
Total	391	46	437
Grand Total	51053	14803	65856

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 16.2.13 to 6.5.13		
			For New electors Form-6	Duplicate	Total
	No.	Name			
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	1179	98	1277
	2	Bharmour (ST)	2539	203	2742
	3	Chamba	963	58	1021
	4	Dalhousie	1122	79	1201
	5	Bhattiyat	1001	102	1103
District Total =			6804	540	7344
Kangra	6	Nurpur	2307	220	2527
	7	Indora (SC)	2797	298	3095
	8	Fatehpur	1168	116	1284
	9	Jawali	1338	125	1463
	10	Dehra	1621	187	1808
	11	Jaswan-Pragpur	2079	250	2329
	12	Jawalamukhi	2410	319	2729
	13	Jaisinghpur(SC)	1421	239	1660
	14	Sullah	1842	242	2084
	15	Nagrota	2144	117	2261
	16	Kangra	2087	112	2199
	17	Shahpur	1572	138	1710
	18	Dharamshala	1393	157	1550
	19	Palampur	1186	206	1392
20	Baijnath (SC)	1653	93	1746	
District Total =			27018	2819	29837
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	414	17	431
District Total =			414	17	431
Kullu	22	Manali	1454	123	1577
	23	Kullu	1465	138	1603
	24	Banjar	1137	105	1242
	25	Anni (SC)	1363	97	1460
District Total =			5419	463	5882
Mandi	26	Karsog(SC)	1983	27	2010
	27	Sundernagar	1473	166	1639
	28	Nachan(SC)	2108	271	2379
	29	Seraj	1818	188	2006
	30	Darang	1818	259	2077
	31	Jogindernagar	2279	233	2512
	32	Dharampur	2166	247	2413
	33	Mandi	1390	18	1408
	34	Balh(SC)	1523	13	1536
	35	Sarkaghat	2229	269	2498

1	2	3	4	5	6
District Total =			18787	1691	20478
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	1332	27	1359
	37	Sujanpur	1570	159	1729
	38	Hamirpur	1558	184	1742
	39	Barsar	1759	222	1981
	40	Nadaun	1980	157	2137
District Total =			8199	749	8948
Una	41	Chintpurni (SC)	2305	15	2320
	42	Gagret	2580	10	2590
	43	Haroli	2426	142	2568
	44	Una	2125	327	2452
	45	Kutlehar	2500	416	2916
District Total =			11936	910	12846
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	1026	140	1166
	47	Ghumarwin	1101	125	1226
	48	Bilaspur	1161	318	1479
	49	Sri Naina DeviJi	1495	310	1805
District Total =			4783	893	5676
Solan	50	Arki	1455	144	1599
	51	Nalagarh	1540	278	1818
	52	Doon	1596	183	1779
	53	Solan (SC)	1865	665	2530
	54	Kasauli (SC)	1592	303	1895
District Total =			8048	1573	9621
Sirmour	55	Pachhad (SC)	2101	750	2851
	56	Nahan	1775	210	1985
	57	Sri Renukaji (SC)	1765	199	1964
	58	Paonta Sahib	2980	164	3144
	59	Shillai	2948	256	3204
District Total =			11569	1579	13148
Shimla	60	Chopal	1384	303	1687
	61	Theog	882	209	1091
	62	Kasumpti	1314	237	1551
	63	Shimla	632	157	789
	64	Shimla (Rural)	1381	196	1577
	65	Jubbal-Kotkhai	730	232	962
	66	Rampur (SC)	898	32	930
67	Rohru (SC)	1072	301	1373	
District Total =			8293	1667	9960
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	1069	32	1101
District Total =			1069	32	1101
State Total =			112339	12933	125272

परिशिष्ट "घ"

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 07.05.13 to 30.09.2013		
	No	Name	For New electors Form-6	Duplicate	Total
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	17	2	19
	2	Bharmour (ST)	89	10	99
	3	Chamba	47	5	52
	4	Dalhousie	18	0	18
	5	Bhattiyat	172	12	184
District Total =			343	29	372
Kangra	6	Nurpur	114	16	130
	7	Indora (SC)	84	8	92
	8	Fatehpur	125	7	132
	9	Jawali	195	15	210
	10	Dehra	92	9	101
	11	Jaswan-Pragpur	73	6	79
	12	Jawalamukhi	108	11	119
	13	Jaisinghpur(SC)	169	18	187
	14	Sullah	242	21	263
	15	Nagrota	59	0	59
	16	Kangra	128	9	137
	17	Shahpur	230	17	247
	18	Dharamshala	346	21	367
19	Palampur	238	13	251	
20	Baijnath (SC)	195	16	211	
District Total =			2398	187	2585
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	66	2	68
District Total =			66	2	68
Kullu	22	Manali	54	0	54
	23	Kullu	191	11	202
	24	Banjar	199	16	215
	25	Anni (SC)	71	2	73
District Total =			515	29	544
Mandi	26	Karsog(SC)	94	4	98
	27	Sundernagar	143	13	156
	28	Nachan(SC)	45	0	45
	29	Seraj	24	0	24
	30	Darang	27	0	27
	31	Jogindernagar	40	3	43
	32	Dharampur	44	1	45
	33	Mandi	173	13	186
	34	Balh(SC)	61	4	65
35	Sarkaghat	79	3	82	
District Total =			730	41	771
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	65	2	67
	37	Sujanpur	103	10	113
	38	Hamirpur	97	7	104
	39	Barsar	142	11	153
	40	Nadaun	85	3	88
District Total =			492	33	525

1	2	3	4	5	6
Una	41	Chintpurni (SC)	31	1	32
	42	Gagret	28	0	28
	43	Haroli	44	2	46
	44	Una	155	7	162
	45	Kutlehar	73	2	75
District Total =			331	12	343
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	89	1	90
	47	Ghumarwin	131	3	134
	48	Bilaspur	148	7	155
	49	Sri Naina Devi Ji	89	2	91
District Total =			457	13	470
Solan	50	Arki	31	0	31
	51	Nalagarh	50	2	52
	52	Doon	72	1	73
	53	Solan (SC)	443	35	478
	54	Kasauli (SC)	66	2	68
District Total =			662	40	702
Sirmour	55	Pachhad (SC)	133	3	136
	56	Nahan	403	38	441
	57	Sri Renukaji (SC)	26	0	26
	58	Paonta Sahib	260	7	267
	59	Shillai	62	0	62
District Total =			884	48	932
Shimla	60	Chopal	206	6	212
	61	Theog	48	0	48
	62	Kasumpti	319	15	334
	63	Shimla	299	17	316
	64	Shimla (Rural)	273	28	301
	65	Jubbal-Kotkhai	87	2	89
	66	Rampur (SC)	136	5	141
	67	Rohru (SC)	103	9	112
District Total =			1471	82	1553
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	24	0	24
District Total =			24	0	24
State Total =			8373	516	8889

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 01.10.2013 to 05.01.2014		
	No.	Name	For New electors Form-6	Duplicate	Total
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	1212	41	1253
	2	Bharmour (ST)	2375	192	2567
	3	Chamba	1652	143	1795
	4	Dalhousie	1519	118	1637
	5	Bhattiyat	1764	224	1988
District Total =			8522	718	9240
Kangra	6	Nurpur	1231	186	1417
	7	Indora (SC)	1135	168	1303
	8	Fatehpur	1748	145	1893
	9	Jawali	1965	226	2191
	10	Dehra	985	116	1101
	11	Jaswan-Pragpur	1005	131	1136
	12	Jawalamukhi	909	119	1028
	13	Jaisinghpur(SC)	1117	247	1364
	14	Sullah	1138	272	1410
	15	Nagrota	1049	124	1173
	16	Kangra	1014	120	1134
	17	Shahpur	1224	120	1344
	18	Dharamshala	908	107	1015
19	Palampur	828	116	944	
20	Bajjnath (SC)	1088	162	1250	
District Total =			17344	2359	19703
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	604	131	735
District Total =			604	131	735
Kullu	22	Manali	1109	227	1336
	23	Kullu	1612	579	2191
	24	Banjar	1109	316	1425
	25	Anni (SC)	1783	176	1959
District Total =			5613	1298	6911
Mandi	26	Karsog(SC)	1183	103	1286
	27	Sundernagar	1166	90	1256
	28	Nachan(SC)	1213	151	1364
	29	Seraj	1299	138	1437
	30	Darang	1418	154	1572
	31	Jogindernagar	1350	168	1518
	32	Dharampur	1002	142	1144
	33	Mandi	805	100	905
	34	Balh(SC)	953	83	1036
	35	Sarkaghat	1091	139	1230
District Total =			11480	1268	12748
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	1083	118	1201
	37	Sujanpur	1090	175	1265
	38	Hamirpur	1140	103	1243
	39	Barsar	1135	117	1252
	40	Nadaun	1291	126	1417
District Total =			5739	639	6378

1	2	3	4	5	6
Una	41	Chintpurni (SC)	1520	161	1681
	42	Gagret	1498	138	1636
	43	Haroli	1585	165	1750
	44	Una	1527	140	1667
	45	Kutlehar	1581	158	1739
District Total =			7711	762	8473
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	1372	136	1508
	47	Ghumarwin	1366	147	1513
	48	Bilaspur	1270	173	1443
	49	Sri Naina Devi Ji	1658	241	1899
District Total =			5666	697	6363
Solan	50	Arki	1282	160	1442
	51	Nalagarh	1337	144	1481
	52	Doon	1312	138	1450
	53	Solan (SC)	1591	287	1878
	54	Kasauli (SC)	2266	236	2502
District Total =			7788	965	8753
Sirmour	55	Pachhad (SC)	1610	308	1918
	56	Nahan	1915	240	2155
	57	Sri Renukaji (SC)	2043	234	2277
	58	Paonta Sahib	1475	129	1604
	59	Shillai	1991	187	2178
District Total =			9034	1098	10132
Shimla	60	Chopal	1792	284	2076
	61	Theog	1167	254	1421
	62	Kasumpti	1944	331	2275
	63	Shimla	1055	224	1279
	64	Shimla (Rural)	2340	895	3235
	65	Jubbal-Kotkhai	1276	348	1624
	66	Rampur (SC)	1446	183	1629
	67	Rohru (SC)	1824	295	2119
District Total =			12844	2814	15658
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	1293	216	1509
District Total =			1293	216	1509
State Total =			93638	12965	106603

परिशिष्ट "च"

District Name	Assembly Constituency		EPIC Prepared and distributed to the electors during the period 06.01.2014 to 19.04.2014		
			For New electors Form-6	Duplicate	Total
	No.	Name			
1	2	3	4	5	6
Chamba	1	Churah (SC)	994	31	1025
	2	Bharmour (ST)	867	4	871
	3	Chamba	869	47	916
	4	Dalhousie	710	29	739
	5	Bhattiyat	1336	28	1364
District Total =			4776	189	4965
Kangra	6	Nurpur	865	40	905
	7	Indora (SC)	588	29	617
	8	Fatehpur	1022	70	1092
	9	Jawali	1305	12	1317
	10	Dehra	855	21	876
	11	Jaswan-Pragpur	617	19	636
	12	Jawalamukhi	643	30	673
	13	Jaisinghpur(SC)	857	63	920
	14	Sullah	1734	69	1803
	15	Nagrota	534	13	547
	16	Kangra	748	29	777
	17	Shahpur	1003	35	1038
	18	Dharamshala	2856	54	2910
19	Palampur	1391	70	1461	
20	Baijnath (SC)	1047	42	1089	
District Total =			16065	646	16711
L & S	21	Lahaul & Spiti (ST)	148	0	148
District Total =			148	0	148
Kullu	22	Manali	1163	47	1210
	23	Kullu	2531	211	2742
	24	Banjar	1050	133	1183
	25	Anni (SC)	690	24	714
District Total =			5434	465	5899
Mandi	26	Karsog(SC)	371	9	380
	27	Sundernagar	1005	0	1005
	28	Nachan(SC)	538	0	538
	29	Seraj	331	12	343
	30	Darang	1193	23	1216
	31	Jogindernagar	1099	15	1114
	32	Dharampur	627	27	654
	33	Mandi	1023	21	1044
	34	Balh(SC)	722	10	732
35	Sarkaghat	611	0	611	
District Total =			7520	117	7637
Hamirpur	36	Bhoranj (SC)	1419	33	1452
	37	Sujanpur	1496	21	1517
	38	Hamirpur	1707	68	1775
	39	Barsar	1321	40	1361
	40	Nadaun	1353	24	1377
District Total =			7296	186	7482

1	2	3	4	5	6
Una	41	Chintpurni (SC)	828	18	846
	42	Gagret	813	16	829
	43	Haroli	1069	38	1107
	44	Una	1993	42	2035
	45	Kutlehar	1014	6	1020
District Total =			5717	120	5837
Bilaspur	46	Jhanduta (SC)	800	25	825
	47	Ghumarwin	1157	40	1197
	48	Bilaspur	1129	71	1200
	49	Sri Naina Devi Ji	712	22	734
District Total =			3798	158	3956
Solan	50	Arki	601	16	617
	51	Nalagarh	1111	60	1171
	52	Doon	1220	21	1241
	53	Solan (SC)	2234	167	2401
	54	Kasauli (SC)	1064	2	1066
District Total =			6230	260	6490
Sirmour	55	Pachhad (SC)	478	24	502
	56	Nahan	1225	60	1285
	57	Sri Renukaji (SC)	559	17	576
	58	Paonta Sahib	2173	115	2288
	59	Shillai	823	42	865
District Total =			5258	258	5516
Shimla	60	Chopal	686	0	686
	61	Theog	477	66	543
	62	Kasumpti	1945	91	2036
	63	Shimla	2206	29	2235
	64	Shimla (Rural)	1314	62	1376
	65	Jubbal-Kotkhai	558	51	609
	66	Rampur (SC)	615	56	671
	67	Rohru (SC)	490	67	557
District Total =			8291	422	8713
Kinnaur	68	Kinnaur (ST)	1047	41	1088
District Total =			1047	41	1088
State Total =			71580	2862	74442

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु		सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sh. Rajeev Agrawal S/O Sh. Vijay Kumar Agrawal, Mukesh Sadan c/o Agrawal Agrico Sirsa Road, Chattisgarh, Pin- 490023.	8-4-2013	Information of Total Expenditure beared due to bye-elections held after independence to till date.	12.4.2013 Application is not in order as per clause-3 of RTI Act. Applicant has been apprised about it.	शून्य	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क
2.	Sh. Nishant Sharma S/O Sh. Krishan Dutt Sharma c/o Supdt. Model Jail Bridail Chandigarh, Punjab (Through Addl. Chief Secretary (Home) to the Govt. of H.P.)	18-4-2013	Information regarding nomination papers and assests and liabilities of MLA, Jaswan, Sh. Bikram Singh Thakur.	20.4.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	शून्य
3.	Sh. Jagdish Chand, Captan, AMC (Retd) Vill. & P.O. Narola, Distt. Mandi, H.P.	24-4-2013	Information regarding holding of Vidhan Sabha General Election 2012 in one phase.	29.4.2013 लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को स्थानान्तरित	शून्य	शून्य	10/-रुपये आवेदन शुल्क
4.	Sh. Anil Bairwal, National Coordinator, Association for Democratic Reforms,	22.7.2013	Information related to the affidavits submitted by contested candidates in Lok Sabha Bye Elections.	24.7.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय,	शून्य	24.7.2013	10/-रुपये आवेदन शुल्क

	Table No.5 Kiwani Centre, B_35, 4 th Floor, Qutub Institutional Area (Near Rockland Hospital), New Delhi- 110016			हमीरपुर को स्थानान्तरित			
5.	shri K.L. Thakur Advocate, Court complex chamba.	1.8.2013	R.T.I information	19,8,2013	64+36 Postage charges	19,8,20 13	10+64कुल 74
6.	Shri Jagdish Chand, Advocate, Civil Court Arki, R/O Ward No. 7 Arki, Tehsil Arki, District Solan (HP)	06/8/2013	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	19/8/2013	40/-	19/8/2 013 (By Post)	--
7.	Shri Vikas Sharma c/oSatinder Thakur, near Shiv mandir Kotla nala solan-173212	22.8.2013	do-	30,8,2013	48+36 Postage charges	7.9. 2013	10+48 कुल 58
8.	प्रधान, श्री हरमेश लाल शर्मा, रा.प्रा.पा. सचाणी, प्राथमिक अध्यापक संघ, खण्ड कुल्लू-1 (शमशी) तहसील कुल्लू (हि.प्र.)	24-08- 2013	दिनांक 02-08- 2010 से 17-08- 2010 तक (Monsoon Break) में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान निर्वचान डियुटि के एवेज में अर्जित अवकप्रदाय करने के सन्दर्भ में.	इस विभाग के पत्र संख्या: 6-30/2010- ई.एल.एन.- 2461 दिनांक 30 अगस्त, 2013 के द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया ।		-	आवेदन शुल्क 12/- रूपये आई.पीओ. सं.क्रमश 20F 694125 व 2B 404968. थी से प्राप्त हुए ।
9.	Sh. Tarun Kumar R/O 499, Sector- 11, Panchkkula,	30.8.2013	Information regarding expenses on journey made by the Chief	4.9.2013 लोक सूचना अधिकारी, सामान्य	शून्य	4.9.20 13	10/-रूपये आवेदन शुल्क

	Haryana.		Minister during the Vidhan Sabha Election-2012 and bye-election to 2-Mandi PC	प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 तथा समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित			
10.	Shri Joginder Kumar s/o Dhani Ram V&po Chhakoh Teh.Sadar Distt. Bilaspur,H.P.	2.9.2013	do-	7.9.2013	52+36 Postage charges	14.10.2013	10+52 कुल
11.	महासचिव, धीमान कल्याण महासभा, हिमाचल प्रदेश, स्थित गगल खास, वाया धीरा तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (निदेशक एवं विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से)	2.9.2013	स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तरखाण जाति के एम0एल0ए0 बने लोगों की सूचना।	11.9.2013 लोक सूचना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय, शिमला-4 को स्थानान्तरित	शून्य	11.9.2013	शून्य
12.	Sh. Arunav Sinha, Chief Copy Editor, The Times of India, 1 st Floor, 16 Rana Pratap Marg, Lucknow.	2.9.2013	Information regarding amount of meny realized from candidates for various elections	10.9.2013 Application is not in order as per clause-3 of RTI Act.	शून्य	10.9.2013	10/-रूपये आवेदन शुल्क
13.	श्री संजय चौहान, एडवोकेट, चैम्बर नं0-7ए, ब्लाक-9, सी.जे.एम. के	16.9.2013	मतदाता फोटो पहचान पत्र बारे।	मांगी गई सूचना व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होने के कारण सूचना	-	-	आवेदन शुल्क 10/- रूपये आई.पी.ओ. संख्या-17F 550343

	पीछे कचहरी, देहरादून- 248001			प्रदाय नहीं की गई ।			
14.	Shri Jagdish Thakur, Advocate, S/O Sh. Sita Ram, Courts at Arki, District Solan (HP)	17/9/2013	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	25/9/2013	30/-	30/9/2 013 (By Post)	-
15.	Ex-Capt. Paramvir Singh, 553- E/2, Tapkeshwar Road, Garhi Cantt. Dehradun- 248003. (Uttarakhand)	01/10/2013	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	Individual was informed vide letter No. 5- 19/2010- ELN dated 07/10/2013	10/-	Applic ant not desire d to receiv e the inform ation	&
16.	श्री सोनू पुनडरा, अधिवक्ता, नुरपूर, जिला कांगडा ।	10-10-2013	विधान सभा क्षेत्र बार मतदाताओं की सूचना	इस विभाग के पत्र संख्या: 6- 30/2010- ई.एल.एन- 2936. दिनांक 19 अक्तूबर, 2013 द्वारा सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया ।	मु 4/- रु पंजीकृत डाकखर्च सहित सूचना का मू0 31/-रु	-	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं. क्रमशः 65C 420752 व 65C 420751 प्रार्थी से प्राप्त हुए ।
17.	Sh. Tarun Kumar R/O # 499, Sector- 11, Panchkkula, Haryana.	17.10.2013	information regarding expenses made by the current Member of Parliament and detail showing assets and	23.10.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, मण्डी	शून्य	23.10.2 013	10/-रुपये आवेदन शुल्क

			liabilities in her affidavit from 2-Mandi PC during the Bye-Election-2013	को स्थानान्तरित			
18.	Sh. Tarun Kumar R/O # 499, Sector-11, Panchkkula, Haryana.	17.10.2013	Information regarding expenses made by the current Chief Minister and documents showing the details of assets and liabilities submitted by the CM during the Vidhan Sabha Election-2012	23.10.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, षिमला को स्थानान्तरित	शून्य	23.10.2013	10/-रूपये आवेदन शुल्क
19.	श्री हरपाल सिंह राणा, A-1, गांव व डाकघर कादीपुर, दिल्ली-110036. (जन सूचना अधिकारी-एवं-अवर सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय के माध्यम से)	21.10.2013	Informations regarding conduct of elections in Himachal Pradesh.	23.10.2013	शून्य	23.10.2013 पत्र के माध्यम से आवेदक को अवगत करवाया गया।	शून्य
20.	Sh. Vijay Kumar, Gen. Secretary, HP State Election Kanungo Union, Sub-Divisional Election Office, Sadar Mandi, Distt. Mandi (HP)	18.11.2013	Request for information under RTI Act, 2005 in respect of R & P Rules of departmental posts	03/12/2014	270/-	11/12/2014	&
21.	श्री अजय कुमार, सपुत्र श्री केशव राम, गांव आंध्रा (पंचायत घर), डाकघर कैथली, तहसील चिडगांव, जिला शिमला, हि0प्र0।	20.11.2013	विधान सभा निर्वाचन-2012 के यात्रा/ दैनिक भत्ता न मिलने बारे शिकायत।	26 नवम्बर, 2013 को मूल आवेदन पत्रकीप्रॉजि0नि0अ0(उपा0), शिमला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।	—	—	निर्धारित शुल्क राज्य सूचना आयोग द्वारा प्राप्त किया गया।

22.	श्री गणेश दत्त भरवाल, ग्राम व डा.घर भैरा, तहसील अम्ब जिला ऊना, हि.प्र.	22-11- 2013	03- हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभा निर्वाचन क्षेत्र बार मतदाताओं के आंकड़ों का प्रदाय	इस विभाग के पत्र संख्या:6- 10/2010- ई.एल.एन.- 3159 दिनांक 23 नवम्बर, 2013 द्वारा आवेदक को सूचना तैयार होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया ।	मु 2/- रु पंजीकृत डाकखर्च सहित सूचना का मू0 29/-रु	9-12- 2013	आवेदन शुल्क 10/- रुपये आई.पी.ओ. सं. क्रमशः 20 F 782970 व मु0 50/- रुपये सूचना शुल्क आई.पी.ओ. सं. 77G 755432 प्रार्थी से प्राप्त हुए ।
23.	श्री आर.सी गुसा, हाऊस न.2148, सैक्टर-21-सी, चण्डीगढ़	9-12- 2013	श्री कृष्ण बलदेव वर्मा, निवासी, 212-मार्केट लेन, एम.सी. बिल्डिंग, सब्जी मण्डी शिमला, कर्मचारी नगर निगम शिमला के जन्म तिथि के सन्दर्भ में।	इस विभाग के पत्र संख्या:6- 10/2010- ई.एल.एन.- 3315 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा आवेदन शुल्क सहित जन सूचना अधिकारी, नगर निगम, शिमला को स्थानान्तरित की गई ।	-	-	-
24.	Sh. Rohin Visht (Advocate) , 75, The Mall, Shimla- 171001	16.12.2013	Information regarding affidavits filed by Sh. Tejwant Singh Negi, contesting candidate from Kinnaur(ST) Assembly Constituency during Vidhan Sabha Elections- 2003.	20.12.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, किन्नौर को स्थानान्तरित	शून्य	20.12.2 013	10/-रुपये आवेदन शुल्क

25.	Sh. Rohin Visht (Advocate) , 75, The Mall, Shimla-171001	16.12.2013	Information regarding affidavits filed by Sh. Tejwant Singh Negi, contesting candidate from Kinnaur(ST) Assembly Constituency during Vidhan Sabha Elections-2007.	20.12.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, किन्नौर को स्थानान्तरित	शून्य	20.12.2013	10/-रूपये आवेदन शुल्क
26.	Sh. Rohin Visht (Advocate) , 75, The Mall, Shimla-171001	16.12.2013	Information regarding affidavits filed by Sh. Tejwant Singh Negi, contesting candidate from Kinnaur(ST) Assembly Constituency during Vidhan Sabha Elections-2012.	20.12.2013 लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, किन्नौर को स्थानान्तरित	शून्य	20.12.2013	10/-रूपये आवेदन शुल्क
27.	Sh. K.L. Notary, Walterton Estate, P.O. Chhota Shimla, HP-171002.	16.12.2013	Information regarding any specific directions issued during Vidhan Sabha Election-2012 for covering or removing CM's picture from the Govt. Calendar by ECI	20.12.2013	12/- रूपये मात्र	3.1.2014	10/-रूपये आवेदन शुल्क जमा 12/- रूपये कुल-22/- रूपये
28.	PIO-cum-Under Secretary, H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur	23/12/2013	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005.	Application was not pertained to this office. Hence returned vide letter No. 5-19/2010-ELN dated: 27/12/2013	--	Applic ation was not pertained to this office. Hence returned vide letter No. 5-19/2010-ELN	&

						dated: 27/12/ 2013	
29.	Sh. Daya Nand Kashyap, Sr. Assistant, District Election Office Mandi, H.P.	06/1/2014	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005	30/1/2014	10/-	Applicant not desired to receive the information	&
30..	श्री ध्यान सिंह ठाकुर, पूर्व उपाध्यक्ष, जिला परिषद, लाहौल स्पिति, गांव केण, डाकघर तिन्दी, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति ।	31.1.2014	साधारण व उप-निर्वाचनों में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के आचरण बारे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश की प्रतियां ।	1.2.2014	8/- रुपये मात्र जमा 27/- रुपये डाक खर्च, कुल 35/- रुपये	7.3.2014	10/-रुपये आवेदन शुल्क जमा 35/- रुपये कुल-45/- रुपये
31.	श्री नेत्र सिंह ठाकुर, सपुत्र स्वर्गीय श्री गोरखिया राम, गांव चौखर, डाकघर सतलाई, जिला शिमला	4.2.2014	नया मतदान केन्द्र खोलने बारे	मांगी गई सूचना पत्र संख्या-7-3/2008-ई.एल.एन.-423, दिनांक 13.1.14 द्वारा प्रदान की गई	-	-	आवेदनकर्ता बी.पी.एल से सम्बन्धित होने के कारण आवेदन शुल्क नहीं लिया गया।
32.	श्री कर्म चन्द भाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता, नजदीक जिलाधीश कार्यालय, शिमला	13.2.2014	प्रदेश व जन व्यवस्था सुधार हित में जानकारी	कुल छ मर्दों में से तीन मर्दों की सूचना इस विभाग के पत्र संख्या 7-3/2008-ई.एल.एन. दिनांक 18 फरवरी,	-	-	आवेदनकर्ता बी.पी.एल से सम्बन्धित होने के कारण आवेदन शुल्क नहीं

				2014 द्वारा प्रदान कर दी गई तथा शेष मर्दों समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0 को सूचना भेजने हेतु लिखा गया ।			लिया गया।
33.	Sh. Mohit S/O Lt. Sh. Darshan Singh, VPO Nagwain, Distt. Mandi, H.P.	19/3/2014	Application for providing information under the Right to Information Act, 2005 in respect of disabled person's quota in the post of Tehsildar (Election) and Naib Tehsildar (Election)	24/3/2014	10/-	24/3/2014	—
34.	Sh. Vipan Kumar Dhiman, V.P.O. Bari, Tehsil Nurpur, District Kangra, HP-176051	21.3.2014	Information regarding guidelines on Model Code of Conduct and other Rule and Regulation of ECI	25.3.2014	38/- रुपये मात्र जमा 36/- रुपये डाक खर्च, कुल 74/- रुपये	10.4.2014	10/-रुपये आवेदन शुल्क जमा 74/- रुपये कुल-84/- रुपये
35.	श्री रा श्री राज कुमार कुमार ठाकुर, गांव गांव व डाकघडाकघर भाला तहसील चच्य चच्योट जिला मण्डी ।	25.3.2014	लोक सभा निर्वाचनों-2014 में निर्वाचनों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना व स्थानान्तरण बारे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश की प्रतियां	29.3.2014	36/- रुपये मात्र जमा 36/- रुपये डाक खर्च, कुल 72/- रुपये	9.4.2014	10/-रुपये आवेदन शुल्क जमा 75/- रुपये कुल-85/- रुपये

36..	श्री एन. के. दत्ता, गांव राजगढ़, डाकघर देहरा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	27.03.2014	विधान सभा चुनाव-2012 में उप मण्डल, देहरा, जिला कांगड़ा से निर्वाचन कार्यो हेतु प्रतिनियुक्त विद्युत विभाग के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ता बारे सूचना मांगी है।	27 मार्च, 2014 को मूल आवेदन पत्र की प्रति जि0नि0अ0(उपा0) , कांगड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।	—	—	10/- रू0 आवेदन शुल्क की राशि
------	--	------------	---	---	---	---	------------------------------------

DETAIL OF COMPLAINTS IN CONNECTION WITH ENROLMENT OF NAMES AND EPICs

Sr. No.	Date of complaint	Source of complaint	Nature of complaint	Action Taken	Remarks, if any
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	18-04-13	Ms. Rukma Devi, Village Jagnijar, P.O. Upper Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra	Complaint regarding non-receipt of EPIC.	EPIC of the complainant has been prepared and handed over to the concerned BLO for distribution to the complainant.	Disposed of.
2.	23-04-13	Sh. Chandan Anand, C/O. Rajesh Anand V.P.O. Chetru, Tehsil Dharmashala, Distt. Kangra.	Complainant wants to know the procedure for getting himself registered in the PER.	ERO(SDM) Dharamshala has informed the complainant about the procedure of registration of name in the Photo Electoral Rolls.	Disposed of.
3.	08-05-13	Meenakshi, V.P.O. Badhal Thore, Tehsil Dehra, Distt. Kangra	Registration in the Electoral Rolls	ERO (SDM) Dehra has advised the complainant to register herself in PER at the working place.	Disposed of.
4.	11-05-13	Vikas Saroch, Near D.A.V. Sr.Sec. School Dehra, Distt. Kangra	Complainant has lost his EPIC & wants duplicate EPIC	ERO (SDM) Dehra has informed the complainant about the procedure of issuance of duplicate EPIC.	Disposed of.
5.	07-05-13	Manisha Kumari, R/O Village Rahian. P.O. Auhar, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur	Regarding Correction of name in the PER	Necessary correction has been made in PER and accordingly rectified EPIC issued to the complainant.	Disposed of
6.	17-05-13	Jagdish Chand, Vill. Thara, P.O. Thiri, Tehsil Khundian, Distt. Kangra	Issuance of rectified EPIC	ERO (SDM) Dehra has informed the complainant about the procedure of issuance of rectified EPIC.	Disposed of
7.	14-05-13	Sh. Arun Verma, A1, Block 5, Sector-6 Parwanoo, Distt. Solan	Rejection of application as wrong particulars lodged in Form-6 through e-registration	The complainant was consulted telephonically and advised to submit true particulars.	Disposed of

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	14-05-13	Smt. Sarika Verma, A1, Block 5, Sector-6 Parwanoo, Distt. Solan	-do-	-do-	Disposed of
9.	10-05-13	Sonu Thakur, Vill. Bhori, P.O. Kundlu, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan	Issuance of Duplicate EPIC	ERO (SDM) Nalagarh has informed the complainant about the procedure of issuance of duplicate EPIC.	Disposed of
10.	17-05-13	Rohit Manu, V.P.O. Geharwin Serwa, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur.	Regarding issuance of EPIC	Complainant has already found registered in 46-Jhandutta (SC) A.C. and EPIC has also issued to him.	Disposed of.
11.	17-05-13	Sh. Mohammad Salman, Dhar Ki Ber, Subathu Road Dharampur, Distt. Solan	Issuance of duplicate EPIC	ERO (SDM) Solan has informed the complainant about the procedure of issuance of duplicate EPIC.	Disposed of.
12.	20-05-13	Rajinder Parshad, V.P.O. Kachhiari, Tehsil & District Kangra	Correction of name in Electoral Roll	ERO (SDM) Kangra has informed the complainant about the procedure of correction of name in the PER.	Disposed of.
13.	18-05-13	Rajender Kumar, Vill. Thuila, P.O. Pantehra, Teh. Ghumarwin, Distt. Bilaspur	Regarding non- receipt of EPIC	EPIC has been prepared and handed over to the complainant.	Disposed of.
14.	24-05-13	Dr. Tilak Raj Sharma, V.P.O. Paonta Sahib, Distt. Sirmour	Correction of address in EPIC	ERO (SDM) Paonta Sahib has informed the complainant about the procedure of issuance of rectified EPIC.	Disposed of.
15.	02-06-13	Sh. Mukesh Sharma, Ward No.3 near BSNL exchange, Nalagarh, Distt. Solan	Correction in EPIC	ERO (SDM) Nalagarh has informed the complainant about the procedure of issuance of duplicate EPIC.	Disposed of.
16.	14-06-13	Rajinder Parshad, V& P.O. Kachhairi, Tehsil & District Kangra	Correction of EPIC and inclusion of wife's name in PER	Electoral Registration Officer Kangra has corrected the name in the PER and rectified EPIC is being distributed to the complainant. ERO has also informed the complainant about	Disposed of .

				the procedure of inclusion of name of his wife.	
17.	10-05-13	Smt. Swadesh Sharma, R/O 36-3 Ward Panchwati Garden Colony, Hamirpur Road, Amb Distt. Una	Regarding non-issuance of EPIC	EPICs of complainant and her son have been prepared and handed over to them.	Disposed of.
18.	22-06-13	Thakur Lal, V & P.O. Sach, Tehsil Pangi, District Chamba	Regarding deletion of names from Electoral Rolls.	The AERO Pangi has submitted that deletion of names in Pst. 19-Sach had been made on genuine basis and complaint found baseless.	Disposed of.
19.	09-07-13	Sh. Pankaj Sharma, V & P.O. Parol, Tehsil Fatepur, District Kangra	Complaint regarding non-receipt of rectified EPIC.	Rectified EPIC has been prepared and handed over to the concerned BLO for distribution to the complainant.	Disposed of.
20.	13-07-13	Sh. Rajan Sharma, V.P.O. Manoh Sihal, Tehsil Fatepur, District Kangra	Complainant has lost his EPIC and wants duplicate EPIC	Duplicate EPIC has been issued to the complainant as per norms.	Disposed of.
21.	15-07-13	Sh. Rajeev Kumar, VPO Chamned, Tehsil and District Hamirpur	Regarding correction in the EPIC.	Rectified EPIC has been prepared and issued to the complainant.	Disposed of
22.	17-07-13	Sh. Jitender Sharma, Ward No.2 Badholi, District Una	Complainant has lost his EPIC .	The ERO Nalagarh has informed the complainant about the procedure to get duplicate EPIC.	Disposed of
23.	22-07-13	Sh. Mohit Bassi, Ward No.8 Nalagarh, District Solan.	Regarding issuance of EPIC	Complainant has informed about the procedure to get EPIC.	Disposed of
24.	27-07-13	Sohan Kumar, Vill. Suneka Badhan, P.O. Dhaneti, Teh. Nurpur, Distt. Kangra.	Complainant wants to register himself in the PER	The ERO Nurpur has informed the complainant about the procedure to get register himself in the PER.	Disposed of
25.	20-08-13	Sh. Manjeet Singh, Vill. Kathiara, P.O. Nahan Nagrota Tehsil Rakkar Distt. Kangra.	Regarding correction in the Electoral Rolls	The ERO Dehra has informed the complainant about the procedure for correction in the Electoral Rolls.	Disposed of
26.	20-08-13	Sh. Monika Rajput,	Regarding		Disposed

		Vill. Kathiara, P.O. Nahan Nagrota Tehsil Rakkar Distt. Kangra.	correction in the Electoral Rolls	-do-	of
27.	23-08-13	Sh. Jeewan Negi, V & PO Jani, Tehsil Nichar, District Kinnaur	Regarding correction of date of Birth in the PER	The ERO Kinnaur has informed the complainant about the procedure for correction of age in the PER.	Disposed of
28.	01-09-13	Rajender Kumar, VPO Bhali, Tehsil Jawali, Distt. Kangra	Regarding issuance of EPIC	ERO (SDM) Jawali has informed the complainant about the procedure to get EPIC.	Disposed of.
29.	13-09-13	Vijay Kumar, VPO Khundiani, Distt. Kangra	Voter facilitation	Necessary correction has already been made in PER and ERO Dehra informed the complainant accordingly.	Disposed of.
30.	21-09-13	Nivedita, V.& P.O. Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra	On-line application for registration in PER	ERO Jaisinghpur has informed the applicant about the required documents for on-line registration.	Disposed of.
31.	24-9-13	Abhilash Sharma, V & P.O. Nahakhas, Tehsil jawali, Distt. Kangra	Regarding correction in EPIC	The ERO Jawali has informed the complainant about the procedure to get rectified EPIC.	Disposed of
32.	01-10-13	Ashish Sharma, Vill. Ustehar P.O. Deogran, Tehsil Palampur, Distt. Kangra	Inquiry for the new enrollment	The ERO Palampur has informed the complainant about the procedure of enrollment in the PER	Disposed of
33.	03-10-13	Naresh Kumar, Vill. Tarkwari Tehsil Bhoranj Distt. Hamirpur	Regarding deletion of name of complainant's wife	ERO (SDM) Bhoranj has enquired the matter and found that the wife of complainant reside with her husband, who is posted in CRPF and her name has been deleted from PER. The complainant has informed accordingly.	Disposed of
34.	5-10-13	Anuraj Kumar, R/O Jhandutta Town, Tehsil Jhanduta, Distt. Bilaspur	Regarding correction of name	The complainant has submitted the Form-8 for correction and same has been forwarded for verification, after verification necessary correction will be made in the PER as well in EPIC.	Disposed of

35.	6-10-13	Vandna Kumari, Vill.Churari P.O. Hawan Teh. Ghumarwin Distt. Bilaspur	Regarding correction of name	The complainant has been informed to submit Form-8 for correction of name at her polling station during revision campaign.	Disposed of
36.	9-10-13	Rajinder Prasha, V & P.O. Kachhiari , Teh. & Distt. Kangra	Non-receipt of rectified EPIC	Rectified EPIC has been prepared and the complainant informed accordingly and he has also directed to deposit old EPIC.	Disposed of
37.	9-10-13	Anita Awasthi, Vill. Kaana Sabham, P.O. Thural, Distt. Kangra	Non-receipt of EPIC	ERO Palampur has informed the that on-line application of the complainant is not received till date and she is informed about the procedure for on-line registration in PER.	Disposed of
38.	16-10-13	Avinash Kumar, Vill. Thana, P.O. Oie, Tehsil Baroh, Distt. Kangra	Regarding correction in the EPIC	The ERO Kangra has informed the complainant about the procedure to get rectified EPIC.	Disposed of
39.	5-11-2013	Uma Bharti, R/O Vill. Mingran, Teh. Nurpur, Distt. Kangra	Complaint regarding non-receipt of EPIC	The EPIC of the complainant has been prepared and the same is being distributed through BLO.	Disposed of.
40.	10-12-2013	Sh. Om Prakash, Vill. Godhan, P.O. Navgaon, Tehsil Arki, Distt. Solan	Issuance of duplicate EPIC.	The ERO Arki has informed the complainant about the procedure to get duplicate EPIC.	Disposed of
41.	20-12-2013	Naresh Kumar Labra, Vill. Patta Jatian, P.O. Jakhara Teh. Fatehpur Distt. Kangra	Regarding registration in Electoral Rolls	The ERO Jawali has informed the complainant about the procedure to get registered in PER.	Disposed of.
42.	18-12-13	Pankaj Sharma, VPO Gharsi Sub-Teh. Krishangarh, Distt. Solan	Issuance of EPIC	As per enquiry report received from ERO, the application of the complainant was rejected due to required supporting documents not attached . Now he has been advised to deposit required documents for the enrolment in the PER.	Disposed of.
43.	17-12-2013	Daulat Ram, Vill. Gehra P.O. Balh-Churani, Distt. Bilaspur.	Regarding enrollment in PER	ERO Bilaspur has informed the complainant that being a defence personnel,	Disposed of

				he should apply on Form-2 through his record office	
44.	01-01-2014	Ashutosh Badhwar Vill. Hudal, P.O. Sidhpur, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra	Regarding registration in PER	ERO Dharamshala has informed the complainant that his name has been registered in the PER and PVC EPIC will be issued on NVD-2014.	Disposed of.
45.	01-01-2014	Adityesh Kumar, R/O Raipur Tea Estate P.O. Thakurdwara, Teh. Palampur, Distt. Kangra	Regarding correction in Electoral Rolls	ERO (SDM) Palampur has rectified the particulars in the PER.	Disposed of
46.	08-01-2014	Sunil Kumar, Vill. Maryari. P.O. Jalot, Teh. & Distt. Kangra, H.P.	Complaint regarding sending of EPIC	As per enquiry report of ERO (SDM) Kangra, the particulars of the complainant are incomplete and presently he is not ordinary resident of concerned assembly constituency.	Disposed of
47.	16-01-2014	Pankaj Sharma, V. & P.O. Gharsi, Tehsil Krishangarh, Distt. Solan.	Seeking application status and non-issuance of EPIC	Application of the complainant is being verified by BLO during continuous updation process because he has filed application after the prescribed period of filling claims and objections during revision.	Disposed of
48.	24-01-2014	Sanjeev Kumar R/O Vill. Kasithwari P.O. Nagrota Bagwan, Distt. Kangra	Regarding non-receipt of EPIC	The complainant has filled incomplete particulars, now he has been advised through SMS to submit complete particulars for the issuance of his EPIC.	Disposed of
49.	29-01-2014	Balbir Singh R/O Vill. Hiun P.O. Nalyana, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi	Regarding correction of name in EPIC	ERO Mandi has informed complainant about the procedure and advised to contact ERO Office Sarkaghat, as he is an ordinary resident of Sarkaghat A.C.	Disposed of
50.	01-02-2014	Mahesh Singh, Vill. Tharu, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi	Regarding registration of name in PER	ERO Mandi has informed complainant about the procedure and advised to contact ERO Office Sarkaghat, as he is an ordinary resident of Sarkaghat A.C.	Disposed of
51.	04-01-2014	Deepa Thakur, R/O 99 Mahal Chogan, P.O. Bir. Tehsil Baijnath, Distt. Kangra	Regarding correction of name in EPIC.	ERO (SDM) Baijnath has informed that now the complainant is not an ordinary resident and she is posted at Banglore.	Disposed of
52.	27-01-2014	Pankaj Choudhary, V.P.O. Pathiar, Teh. &	Regarding New EPIC.	AS per ERO (SDM) Kangra enquiry report, the	Disposed of

		Distt. Kangra		application of complainant received through E-Registration was rejected due in incomplete particulars . Now he has been advised to submit fresh application with complete particulars.	
53.	02-02-2014	Abhilash Sharma, VPO Phatahar, The. Baijnath, Distt. Kangra	Enrolment in PER	ERO (SDM) Baijnath has informed the complainant about the procedure of enrolment of name in the PER.	Disposed of
54.	07-02-2014	Sidharth, VPO Chachyot, Distt. Mandi	Enrolment in PER	ERO (SDM) Sundernagar has informed the complainant about the procedure of enrolment of name in the PER.	Disposed of
55.	06-02-2014	Sanjeev Jamwal, Vill. Ser, P.O. Rangas, The. Nadaun, Distt. Hamirpur	Complainant has lost his EPIC and wants duplicate EPIC	ERO (SDM) Nadaun has informed the complainant about the procedure to get duplicate EPIC	Disposed of
56.	14-12-2013	Rajeev Lal through mail (e-mail ID-rajeev169@yahoo.in)	Regarding dual registration	As per ERO Bagana enquiry report, the name of Smt. Meena has been deleted from 45-Kutlehar A.C., whereas Sh. Naveen Kumar has applied to delete his name form Palam A.C. of Dehli	Disposed of
57.	28-01-2014	Leela Arya R/O Vill. Barawn, P.O. Sandhu, Teh. Theog, Distt. Shimla	Regarding registration of name in PER	ERO Theog has rejected the Form-6, as the applicant failed to produce birth certificate as desired by the ERO	Disposed of
58.	05-02-2014	Karan Kumar R/O Barga, P.O. Smoh, Teh. Jhandutta, Distt. Bilaspur	Modification of address in EPIC	ERO Jhandutta has informed the complaint that the name of revenue village appear in the address in EPIC instead of local name.	Disposed of
59.	05-02-2014	Ashish Kumar R/O Vill. Tihri P.O. Berthin Teh. Jhandutta, Distt. Bilaspur	Issuance of duplicate EPIC.	ERO Jhanduta has informed the complainant to submit the required documents, as at present he is not residing at the place mentioned as his ordinary residence.	Disposed of.
60.	07-02-2014	Anup Kumar R/O Vill. Viola, P.O.Garli, Teh. Dehra, Distt. Kangra	Regarding registration of name in PER	The complainant is working in Delhi, hence, he has been suggested to enroll his name in Dehli	Disposed of
61.	10-02-2014	Virender Kumar, VPO Muhal, Teh. Dehra, Distt. Kangra	Regarding registration of name in PER	The complainant is working in Mumbai, hence, he has been suggested to enroll his name in Mumbai.	Disposed of.

62.	15-02-2014	Rattan Chand, Vill. Kamlahari, P.O. & Teh. Shahpur, Distt. Kangra	Complainants wants to know the procedure of correction in PER	ERO Dharamshala has informed the complainant about the procedure of on-line submission of Form-8.	Disposed of.
63.	11-02-2014	Jai Ram, Vill. Tyog, P.O. Sidhpur, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi	Regarding correction of name in PER	ERO Sarkaghat has informed the complainant about the procedure of rectification of name in the PER	Disposed of
64.	13-02-2014	Seema Devi, Vill. Khanot, P.O. Barin, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi	Regarding registration of name in PER	ERO Sarkaghat has advised the complainant to fill fom-6 alongwith supporting documents.	Dispose of.
65.	13-02-2014	Vipin Kumar, Vil.Dateha, P.O. Nanj, The. Karsog, Distt. Mandi	Regarding correction of name in EPIC	ERO Karsog has advised the complainant to contact BLO to submit Form-8 alongwith supporting document.	Disposed of.
66.	11-02-2014	Jai Ram, Vill. Tyog, P.O. Sidhpur, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi	Regarding correction of name in PER	ERO Sarkaghat has informed the complainant about the procedure of rectification of name in the PER	Disposed of
67.	13-02-2014	Seema Devi, Vill. Khanot, P.O. Barin, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi	Regarding registration of name in PER	ERO Sarkaghat has advised the complainant to fill fom-6 alongwith supporting documents.	Dispose of.
68.	13-02-2014	Vipin Kumar, Vil.Dateha, P.O. Nanj, The. Karsog, Distt. Mandi	Regarding correction of name in EPIC	ERO Karsog has advised the complainant to contact BLO to submit Form-8 alongwith supporting document.	Disposed of.
69.	28-04-2014	Ram Krishan, R/O Ram Bhushan, #415, Near Railway Road, Main Bazar, Kotkapura, Distt. Faridkot, Punjab	Dual registration of Mr. Gurdeep Singh & his family in the E-Roll of Punjab as well as in Himachal Pradesh.	ERO (SDM) Dehra has enquired the matter and found that Mr. Gurdeep Singh & his family are now not ordinary resident in respect of 10-Dehra A.C. and hence their names are being deleted from Electoral Roll.	Disposed of
70.	06-05-14	Vikas Raj	Non-Receipt of EPIC	As per the ERO Karsog report, EPIC has been distributed to the complainant.	Disposed of.
71.	07-05-14	Amandeep Kaka, V & P.O. Baggi, Teh. Sadar Mandi	Name found missing in E-Roll	ERO Sunder Nagar has contacted the complainant and advised him to submit application in Form-6	Disposed of.

				alongwith required document for enrolment.	
72.	24-05-14	Dharam Pal, Vill. Lahlu PO Sainj Bagra Teh. Karsog, District Mandi	Enrolment in the E-Roll	The ERO Karsog has informed the complainant telephonically about the procedure of enrolment in the PER.	Disposed of.
73.	29-05-14	Sh. Rajinder Prashad, R/O V & PO Kachhiari, Tehsil & Distt. Kangra	Regarding issuance of duplicate EPIC	The complainant has been guided thoroughly and explained the procedure about issuance of duplicate EPIC .	Disposed off.
74.	05-06-14	Aashish Chandel	Error in EPIC	Rectified EPIC has been prepared and is being distributed to complaintant through BLO.	Disposed off.